दशम माला, खंड 1, अंक 3

गुरुवार, 11 जुलाई, 1991
20 आषाढ़, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(पहला सत्र)
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 1 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

लोक सभा वाद - विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरूवार, 11 जुलाई, 1991/20 आषाढ़, 1913 ≬शक≬

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
2	1	"राट्रपति" के स्थान पर "राष्ट्रपति" पढ़िये।
27	नीवे से पंक्ति [illegible]	"प्रधानमंत्री–श्री पी·वी·नरसिंह राव" के स्थान पर "प्रधानमंत्री ≬श्री पी·वी·नरसिंह राव≬" पढ़िये।
35	नीवे से पंक्ति 13	"महोदेय" के स्थान पर "महोदय" पढ़िये।
38	13	"डा0 जपान्त रंगपी" के स्थान पर "डा0 जयन्त रंगपी" पढ़िये।

विषय-सूची

[illegible] माला, खंड 1 , पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 3 11 जुलाई, 1991/20 आषाढ़, 1913(शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1
राष्ट्रपति का अभिभाषण सभा पटल पर रखा गया	3
सभा पटल पर रखे गये पत्र ..	21
श्री राजीव गांधी की मृत्यु के बारे में संकल्प और निधन संबंधी उल्लेख—	
अध्यक्ष महोदय ..	24
श्री पी० वी० नरसिंह राव	27
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	28
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	29
श्री सोमनाथ चटर्जी	30
श्री इन्द्रजीत गुप्त	31
श्री बी० विजयकुमार राजू	33
श्री पी० जी० नारायणन	34
श्री शिबू सोरेन	34
श्री नानो भट्टाचार्य	34
श्री चित्त बसु	35
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	36
श्रीमती दिल कुमारी भंडारी	37
डा० जयन्त रंगपी	38

91-M/S228LSS—1

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ
श्री अशोकराव आनन्दराव देशमुख . .	39
श्री फ्रैंक एन्थनी . .	39
श्री श्रवण कुमार पटेल . .	41
श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी	42
श्री मणि शंकर अय्यर	42
श्री बलराम जाखड़	44
श्री अर्जुन सिंह . .	46
अध्यक्ष महोदय द्वारा मंत्रियों व सांसदों के बारे में संकल्प व निधन सम्बन्धी उल्लेख . .	48

लोक सभा

गुरुवार 11 जुलाई, 1991/20 आषाढ़, 1913 (शक)

लोक सभा 12.55 म०प० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जिन सदस्यों ने शपथ नहीं ली है या प्रतिज्ञान नहीं किया है, वे शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे। सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सदन में अपना स्थान ग्रहण करेंगे।

श्री एस० विजयरामा राजू (पार्वतीपुरम)

श्री परसराम भारद्वाज (सारगंढ़)

श्री अरविन्द नेताम (कांकेर)

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़)

1.00 म० प०

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं अनुच्छेदों के उपबन्धों को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं..... (व्यवधान)

राष्ट्रपति का अभिभाषण

अध्यक्ष महोदय : महासचिव

महासचिव : मैं 11 जुलाई, 1991 को एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हू ।

राष्ट्रपति का अभिभाषण

माननीय सदस्यगण,

संसद के इस संयुक्त अधिवेशन में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं नई लोक सभा के सदस्यों को बधाई देता हूं।

2. 21 मई, 1991 का दिन एक भयंकर दुःस्वप्न था। राजीव गांधी की जघन्य हत्या से सारा देश शोक-सागर में डूब गया। उनकी हत्या निकृष्टतम अमानवीय कृत्य था। उन्होंने हमारे राष्ट्र के इतिहास में अत्यन्त संकटपूर्ण घड़ी में हमारा नेतृत्व किया था। उनकी मृत्यु से देश ने एक होनहार नेता खो दिया है। राजीव गांधी द्वारा भविष्य के लिए देखा गया स्वप्न, उनका अदम्य आशावाद, उनकी महान देश भक्ति तथा विश्व शान्ति के लिए उनके द्वारा किया गया भगीरथ प्रयास भारत की जनता तथा सम्पूर्ण विश्व के शान्ति-प्रेमी लोगों को निरन्तर प्रेरणा देते रहेंगे।

3. पिछली सरकार ने श्री राजीव गांधी की हत्या के मामले की जांच के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक पीठासीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री जे० एस० वर्मा की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया। सरकार का यह विचार है कि आयोग के विचारार्थ विषयों का विस्तार किया जाना चाहिए और उन्हें व्यापक बनाया जाना चाहिए।

4. भारत की जनता ने इस संकट का सामना धैर्य और संयम के साथ किया है। जिन ताकतों ने लोकतन्त्र को नष्ट करने और देश को अस्थिर करने की कोशिशें की थी उन्हें निराशा हाथ लगी है। हाल ही में सम्पन्न हुए आम चुनाव ने एक बार फिर भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली की शक्ति और जीवंतता प्रमाणित की है।

5. राजीव गांधी की हत्या से देश में हिंसा की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता पर ध्यान और अधिक तीक्ष्णता से आकृष्ट हुआ है। देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति कुछ समय से अत्यधिक चिन्ता का कारण बनी हुई है। पंजाब, जम्मू और कश्मीर में हिंसा जारी है। असम, नागालैंड और मणिपुर में हालात चिन्ताजनक चल रहे हैं। कुछ राज्यों में उग्रवादी गतिविधियों के कारण कानून और व्यवस्था तंत्र पर भारी दबाव बना हुआ है।

6. पंजाब में हिंसा और आतंकवाद अभी भी तेजी पर हैं। यह खुशी की बात है कि आतंकवादियों, जिनकी संख्या बहुत थोड़ी है, की घृणित नीतियों के बावजूद पंजाब के लोगों ने साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखा है। सेना की सहायता से सुरक्षा बल सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादियों द्वारा की जा रही अंधाधुंध हत्याओं, लूट-खसोट और अपहरण की घटनाओं को रोकने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील हैं। पंजाब में, सीमा पार से घुस-पैठ रोकने के लिए सीमा पर बाड़ लगाने और फ्लड लाइटिंग के काम में तेजी लाई गई और उसे योजनानुसार पूरा कर लिया गया है। पंजाब में विधान सभा और लोक सभा के चुनाव 22 जून, 1991 को होने वाले थे, किन्तु उम्मीदवारों की बड़े पैमाने पर हत्या और उग्रवादियों द्वारा फैलाए गए भय और आतंक के वातावरण के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना असंभव हो गया। इसलिए मतदान २५ सितम्बर, १९९१ तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सरकार, आतंकवाद और अलगाववाद से सख्ती से निपटती रहेगी। सरकार, पंजाब में सामान्य स्थिति शीघ्र बहाल करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए कृतसंकल्प है। लेकिन उग्रवादियों और अलगाववादियों को चुनावों का अपने स्वार्थों के लिए दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा। सरकार राजीव-लौंगोवाल समझौते को मानती है। उन लोगों के साथ हमेशा बातचीत की जा सकती है, जो हिंसा छोड़ दें और हमारे संवैधानिक ढांचे को स्वीकार करें। सरकार जरूरत के मुताबिक कोई भी नई पहल करने के लिए तैयार है। वह पंजाब समस्या के स्थायी और शांतिपूर्ण हल के लिए सभी बकाया मसलों के पूर्ण निपटारे के अपने प्रयास जारी रखेगी।

7. जम्मू-कश्मीर में कानून और व्यवस्था तथा सुरक्षा की स्थिति पिछले डेढ़ वर्षों के दौरान तेजी से बिगड़ी है। अलगाववादी तथा कुछ कट्टरपंथी तत्व, जिन्हें सीमा पार से सहायता और प्रोत्साहन मिल रहा है, आतंकवाद तथा तोड़-फोड़ की गतिविधियों में लगे हुए हैं। अलगाववाद तथा आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा बल आवश्यक और कारगर उपाय कर रहे हैं। कुछ समय से कई आतंकवादियों द्वारा आत्म-समर्पण किए जाने के रूप में उत्साहवर्धक संकेत प्राप्त हुए हैं। सरकार और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर जन समितियां गठित की जाएंगी। इसके

साथ-साथ अलगाववादी ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू-कश्मीर के बेरोजगार युवकों को रोजगार देने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

8 असम में चुनाव सम्पन्न हो गए हैं और वहां की जनता ने अलगाववादी ताकतों को वाजिब जवाब दिया है। असम के लोग शान्तिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए बधाई के पात्र हैं। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि असम में अलगाववादी तत्वों को मुख्य धारा में वापस लाया जाए। जनता की उचित शिकायतों को दूर किया जाएगा। असम के त्वरित आर्थिक विकास के लिए उपाय किए जाएंगे।

9. यह बड़ी चिन्ता की बात है कि साम्प्रदायिक ताकतें देश का वातावरण दूषित करने में सफल हुई हैं, जिससे पिछले दो वर्षों में भीषण दंगे भड़के हैं। सरकार ऐसी ताकतों से लड़ने और धर्म निरपेक्षता के मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प है। सरकार धार्मिक, भाषाई और जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा हितों के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी। एक संयुक्त त्वरित कार्रवाई बल का गठन किया जाएगा और उसे दंगो से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित और प्रशिक्षित किया जाएगा। यह बल अति अल्प-सूचना पर राज्य सरकारों को उपलब्ध कराया जाएगा। साम्प्रदायिक दंगों से संबंधित अपराधों की सुनवाई के लिए आवश्यकतानुसार और अधिक विशेष न्यायालयों का गठन किया जाएगा। साम्प्रदायिक दंगों के शिकार हुए लोगों को शीघ्र और पर्याप्त मुआवजा देने के लिए संबंधित प्रक्रियाओं को मजबूत बनाया जाएगा। धर्म-स्थलों की पवित्रता को समुचित सम्मान दिया जाना चाहिये। हम साम्प्रदायिक तत्वों को कोई विवाद उत्पन्न करने और फूट डालने के लिए धर्म-स्थलों का उपयोग करके उनकी पवित्रता को नष्ट करने की अनुमति नहीं दे सकते। सरकार राम जन्म-भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को दोनों समुदायों की भावनाओं का समुचित आदर करते हुए बातचीत द्वारा हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अन्य सभी धर्म-स्थलों के संबंध में कोई नया विवाद उत्पन्न न होने देने की दृष्टि से 15 अगस्त, 1947 की स्थिति बनाए रखने के लिए एक विधेयक पेश किया जाएगा। साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील जिलों में जानकारी प्राप्त करने के लिए 1988 में स्थापित किये गए विशेष सैल

को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि दंगों को रोका जा सके। साम्प्रदायिक दंगों में जिन लोगों की जानें जाएंगी उनके निकट सम्बन्धियों को समुचित रोजगार प्रदान कर उनका पुनर्वास किया जाएगा।

10. हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। जब कभी उन्हें हमारे देश की अखण्डता की रक्षा करने, कानून और व्यवस्था कायम रखने में सिविल अधिकारियों की सहायता करने तथा राहत और बचाव कार्य करने के लिए कहा गया है तो उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है। सरकार रक्षा सेवाओं के दोनों कार्यरत तथा सेवा-निवृत्त कार्मिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर अमल जारी रखेगी। सरकार रक्षा प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने तथा उसमें आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के कार्य को प्राथमिकता देगी।

11. सरकार यह मानती है कि देश एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश अपनी सामर्थ्य से अधिक खर्च करता रहा है और आसान तरीके अपनाता रहा है। हम हालात से मजबूर हो गए हैं। अब हमें कुछ करना होगा। अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कोई भी बलिदान बड़ा नहीं है और देश को कुछ कठोर तथा अप्रिय आर्थिक निर्णय लेने के लिए तैयार रहना होगा।

12. सरकार व्यापक आर्थिक स्थिरता और संरचनात्मक सुधार लाने के लिए वचनबद्ध है, जिससे त्वरित विकास के लिए राष्ट्र को अन्तर्निहित ऊर्जा निर्बाध रूप से प्रवाहित हो उठे। भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यात को और अधिक व प्रतियोगितापरक बनाने, अनावश्यक आयात के खर्च में कटौती करने, पूंजी-निर्गम के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों में कमी करने और पूंजी खाते में स्थिरता लाने के लिए पहले ही कुछ कदम उठाए हैं। हम अपने निर्यातों की प्रतियोगिता में और वृद्धि करने के लिए व्यापार नीति और औद्योगिक नीति में सुधार के क्षेत्रों में ठोस उपाय करना चाहते हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्प हैं कि समायोजन की इस प्रक्रिया में निर्धनों और साधनहीनों पर कोई अनुचित बोझ न पड़े।

13. आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि विशेष चिंता की बात है, इससे सबसे ज्यादा मुश्किल गरीब तबके को होती है। सरकार मुद्रा-स्फीति को घटाने के कार्य को उच्च प्राथमिकता देगी और इस दिशा में सभी

आवश्यक उपाय किए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए रण-नीति तय करते समय समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सरकार मुद्रा पूर्ति में वृद्धि को नियंत्रित करने सरकारी खर्च में किफायत बरतने, लघु बचतों को बढ़ावा देने, अति आवश्यक वस्तुओं की मांग और पूर्ति की बेहतर व्यवस्था और मध्य-अवधि में अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन को प्राथमिकता देगी।

14. राजकोषीय असंतुलन अभी भी सरकार के लिए चिन्ता का मुख्य कारण बना हुआ है। खर्च को नियंत्रित करने और अतिरिक्त राजस्व जुटाने के प्रयासों के बावजूद वर्ष 1990-91 के लिए परिशोधित अनुमानित बजट घाटा 7206 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की अपेक्षा 10,772 करोड़ रुपए है। सरकार कठोर राजकोषीय अनुशासन का पालन करने के लिए वचनबद्ध है। काले धन के विस्तार पर रोक लगाई जाएगी। सरकारी खर्च को नियंत्रित किया जाएगा। आवश्यक समायोजन करते समय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इससे निर्धन-वर्ग को कोई कठिनाई न हो।

15. पहले से ही अत्यधिक खराब चल रही भुगतान संतुलन की स्थिति खाड़ी संकट के कारण और अधिक बिगड़ गई है, जिसका हमारी अर्थ-व्यवस्था पर सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जो 2.7 बिलियन डालर (4900 करोड़ रुपए से अधिक) आंका गया है। इसमें से तेल के आयात की अतिरिक्त लागत ही 2 बिलियन डालर बैठी है और शेष निर्यात की हानि, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा खाड़ी देश छोड़ने और पूंजी की कम आमद के कारण है। भुगतान संतुलन की स्थिति अत्यधिक जटिल हो गई है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से आशा के अनुरूप पूंजी की आमद नहीं हुई है, हालांकि अनेक देशों ने सहायता देने की पेशकश की है। जापान और साथ ही जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैण्ड तथा डेनमार्क से महत्वपूर्ण द्वि-पक्षीय सहायता प्राप्त हुई है। भुगतान संतुलन को नियंत्रित करना हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। सरकार इस संबंध में आवश्यकतानुसार कठोर निर्णय लेने में कोई संकोच नहीं करेगी।

16. भुगतान संतुलन की समस्या को हल करने में निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 1990-91 के दौरान हमारे निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव

पडा है, जिसके परिणामस्वरूप विकास की दर धीमी हो गई है। सरकार ने हाल ही में व्यापार नीति में कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की है। हमें आशा है कि निर्यात-व्यापार धीमे विकास, ऊंची लागत, कड़े नियंत्रण के शिकंजे से निकल आएगा और पुनः तेजी से विकास की ओर अग्रसर होगा। सरकार का ध्येय अन्ततः कुछ एक वस्तुओं को छोड़ कर, जिनकी संख्या बहुत ही कम होगी, पूंजीगत वस्तुओं और कच्चे माल के आयात पर सभी प्रकार के लाइसेंस नियंत्रण को समाप्त करना है।

17. जेनेवा में बहुपक्षीय विचार-विमर्श का उरुग्वे दौर चल रहा है। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के कार्य को महत्व देते हुए सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि विचार-विमर्श के नतीजे विकासशील देशों के लिए अनुकूल व्यापारिक वातावरण बनाने में सहायक हों।

18. औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। 1990-91 में औसत औद्योगिक विकास दर 8.4 प्रतिशत रही जब कि सातवीं योजना अवधि में यह 8.5 प्रतिशत थी। सरकार, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनाने की दिशा में कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्प है। इस प्रयोजन के लिए आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग किया जाएगा। उद्योग और व्यापार के बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न अवसरों का पूरी तरह उपयोग किया जाएगा। सरकार लघु उद्योगों और खादी तथा ग्राम उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान देगी। सरकार नियमों को व्यापक रूप से शिथिल करने और नौकरशाही के हस्तक्षेप को कम करने की दिशा में कार्य करेगी। इस प्रयोजन के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा का कार्य शुरु कर दिया गया है। भारतीय उद्योगों की प्रतियोगिता और गुणवत्ता को बढ़ाकर विश्व-स्तर पर लाने के लिए ऐसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के आयात को उदार तथा सरल बनाया जाएगा, जहां भारतीय प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है। विदेशी कम्पनियों और अनिवासी भारतीयों की भागीदारी के लिए पूंजी-निवेश के माहौल को अधिक अनुकूल बनाने के लिए प्रक्रियाओं में परिवर्तन करने पर विचार किया जा रहा है। उद्योगों और अन्य उपयोगकर्ताओं को वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से जिन सेवाओं की आवश्यकता है उनकी दक्षता में वृद्धि की जाएगी।

19. सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य-निष्पादन में बढ़ौतरी के लिए इसकी कार्य-प्रणाली में सुधार लाए जा रहे हैं। उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभावान व्यक्तियों का चयन करके सार्वजनिक क्षेत्र की प्रबंध व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधकों को, उनकी जवाबदेही को कम किए बिना, अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। विनिवेश के लिए तथा इक्विटी में कामगारों की भागीदारी के लिए और काम के जिन क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल करना अनिवार्य नहीं है और जहां निजी और संयुक्त क्षेत्रों के पास विकसित क्षमता है, उन क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र के दायरे से मुक्त करने के लिए एक नीति बनाई जा रही है।

20. इलेक्ट्रानिक उद्योग को और बढ़ावा देने तथा साफ्टवेयर के निर्यात के संवर्धन के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करना और भारत में सेमी कंडक्टर प्रौद्योगिकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस क्षेत्र की अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को आकर्षित करना शामिल है। कच्चे तेल के उत्पादन और तेल शोधन क्षमता बढाने के काम को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार कपड़ा उद्योग की रुग्णता के निवारण और निर्यात किए जाने वाले भारतीय वस्त्रों के मूल्य को प्रतियोगी बनाने के लिए विशेष उपाय करेगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की समस्याओं पर तत्काल ध्यान दिया जाएगा, जो कृषि उत्पाद का बेहतर उपयोग करने तथा उसे और अधिक लाभप्रद बनाने की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

21. सरकार आधारभूत व्यवस्था के विकास पर विशेष ध्यान देगी। बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। इस्पात उद्योग को और प्रतियोगी बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। रेल परिवहन का आधुनिकीकरण करने और उसकी क्षमता के विस्तार पर ध्यान दिया जाएगा। दूर-संचार सेवाओं को अति उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार दूर-संचार और डाक सेवाओं के स्तर में सुधार लाने का प्रयास करेगी। सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि इस दशक की समाप्ति से पहले प्रत्येक गांव में टेलीफोन अवश्य पहुंच जाएं।

22. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को आर्थिक योजना में महत्वपूर्ण स्थान देने की आवश्यकता है। इस बात का श्रेय हमारे वैज्ञानिकों को जाता है

कि हम अनेक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक क्षमता प्राप्त कर पाए हैं। चालू वर्ष के दौरान इंडियन रिमोट सेंन्सिग सेटेलाइट तथा इंडियन नेशनल सेटेलाइट प्रक्षेपण के दो महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रम सम्पन्न किए जाएंगे। ये प्रक्षेपण संचार,दूर-दर्शन, प्रसारण और मौसम विज्ञान के क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध कराने तथा भूमिगत पेयजल, वानिकी, कृषि, और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में संगत आंकड़े उपलब्ध कराने के प्रति हमारी वचनबद्धता के परिचायक हैं। विभिन्न उपग्रह प्रक्षेपण यानों के विकास में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग संबंधी हमारे प्रयासों के उत्साह-वर्धक परिणाम सामने आए हैं। सदस्यों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि अगले कुछ महीनों में नरोरा-2 पावर रिएक्टर तथा काकरापाड़-1 पावर स्टेशन क्रान्तिक अवस्था में पहुंच जाएंगे। सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने में हर संभव सहायता करेगी।

23. आशा है कि वर्ष 1990-91 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 177.2 मिलियन मीटरीक टन हो जाएगा। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का यह तीसरा वर्ष होगा और ऐसा आजादी के बाद पहली बार हुआ है। यह हमारे किसानों के अथक परिश्रम और वैज्ञानिक कृषि प्रबंध पद्धतियों को अधिक प्रभावी ढंग से अपनाने का परिणाम है। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि किसानों को उनके माल का उचित और लाभकारी मूल्य मिल सके। कृषि उपज में और वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा की जाएंगी सरकार कृषि अनुसंधान पर पूरा ध्यान देगी। विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा और किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकी इस रूप में उपलब्ध कराई जाएगी कि वे उसका उपयोग व्यावहारिक तौर पर कर सकें। वर्षा प्रधान कृषि की पैदावार बढ़ाने की प्रौद्योगिकी को और विकसित किया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे कि इन क्षेत्रों के छोटे और सीमान्त किसानों की आय का स्तर बढ़ाने के लिए जो उपाय किए जाएं उनके लाभ उन तक पहुंचे। जल संसाधन के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार उर्वरकों का देशी उत्पादन बढ़ाने की हर संभव कोशिश करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ये किसानों को, समय पर उपलब्ध हों। आठवीं योजना के दौरान बबराला, शाहजहांपुर गडेपन और काकीनाड़ा में गैस आधारित संयंत्रों को चालू कर तथा

बीजापुर, आंवला तथा जगदीशपुर स्थित संयंत्रों की क्षमता को दुगुना कर नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के क्षेत्र में कम से कम 90 प्रतिशत आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जाएगी। नस्ल में सुधार, पशु स्वास्थ्य और सस्ते चारे पर विशेष ध्यान देते हुए पशु पालन के क्षेत्र को और विकसित किया जाएगा। दूर-दराज के क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

24. देश की विद्यमान विषम आर्थिक स्थिति को देखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने का काम और महत्वपूर्ण हो जाता है। योजना आयोग ने यह योजना तैयार करने का काम 1988 में प्रारंभ किया था, किन्तु सरकार में लगातार बदलाव के कारण योजना संबंधी दस्तावेज को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। सरकार आठवीं योजना को शीघ्र ही अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक उपाय करेगी।

25. भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए गहरी प्रतिबद्धता रही है, जो इसकी स्वाभाविक विशेषता है। आर्थिक और प्रौद्योगिक गतिविधियों से पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में संपूर्ण विश्व में बढ़ती हुई चिन्ता से भारत भी चिन्तित है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे कि स्थायी विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता निश्चित रूप धारण कर सके। पड़ती भूमि और जल संसाधन विकास में रोजगार और उत्पादकता की अत्यधिक सम्भावनाएं हैं। प्रदूषण के निवारण की एक नई नीति तैयार की जा रही है जिसका उद्देश्य पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का बढ़ावा देना है ताकि पड़ती जमीन कम की जा सके और प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके। सभी राज्य सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस कार्य में नागरिक दलों की भूमिका को बढ़ावा दिया जाएगा।

26. भारत का युवावर्ग हमारे समाज के बृहत्, सृजनात्मक और जीवंत संसाधन का एक अंग है। इनके विकास के लिए निवेश करना देश के भविष्य के लिए निवेश करना है। सरकार राष्ट्रीय एकता की भावना को और देश के आत्म गौरव को अक्षुण्ण रखने के अपने प्रयासों में युवावर्ग की सक्रिय भागीदारी के लिए नीतियां तैयार करेगी। शिक्षा, युवा विकास, खेल-कूद और शारीरिक शिक्षा के बीच संबंधों को मजबूत किया जाएगा। उत्पादक रोजगार के अवसरों में शीघ्रता से वृद्धि करना हमारी योजना और आर्थिक नीति का मुख्य लक्ष्य होगा।

27. महिलाएं और बच्चे, विशेष रूप से गरीब घरों के बच्चे और महिलाएं, हमारी जनसंख्या के दो अत्यधिक नाजुक हिस्से हैं, जिनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एकीकृत बाल विकास सेवाएं, जो विश्व का सबसे बड़ा बाल विकास कार्यक्रम है, अपने सफल कार्यान्वयन के पन्द्रह वर्ष पूरा कर चुकी हैं। सरकार सभी पिछड़े और सूखा तथा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों और उन क्षेत्रों को, जहां अधिक संख्या में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग बसते हैं, इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाकर आठवीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम का विस्तार करने के प्रति वचनबद्ध है। सरकार इन्दिरा महिला योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। महिला और बाल विकास के इस एकीकृत कार्यक्रम के प्रेरणा-स्त्रोत श्री राजीव गांधी थे और इसकी घोषणा नवम्बर, 1989 में की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में एक नई चेतना विकसित करना और उन्हें सशक्त बनाना है ताकि वे सामाजिक बदलाव और पुनरुत्थान की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। बाल विकास इस कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग होगा। हम महिलाओं के लिए उन सभी विधानों को लागू करने के लिए कदम उठाएंगे, जो पहले से ही कानून का अंग हैं। इस दिशा में पहले कदम के रूप में हम महिलाओं के अधिकारों के लिए एक आयुक्त नियुक्त करेंगे, जिसे महिलाओं के अधिकारों को कारगर ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की शक्तियां प्राप्त होंगी।

28. सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए वचनबद्ध है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग, जिसे कानूनी दर्जा दिया गया है, के गठन का कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय आयोग को वह सभी सहायता प्रदान की जाएगी, जिसकी उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए रक्षोपायों और अन्य कार्यक्रमों को लागू करने के लिए तथा नियोजन-प्रक्रिया के माध्यम से उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को सुदृढ़ किया जाएगा। सरकार सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपाय करने के प्रति वचनबद्ध है। इन उपायों को लागू करते समय उनमें अधिक

निर्धन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां अधिक निर्धन उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे वहां यह लाभ पिछड़े वर्गों के अन्य लोगों को दिया जाएगा। सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे लोगों को भी दिया जाए, जो विद्यमान योजनाओं के दायरे में नहीं आते हैं। एक पिछड़ा-वर्ग विकास निगम की स्थापना की जाएगी।

29. अल्पसंख्यकों के कल्याण के 15 सूत्री कार्यक्रम को कारगर ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जाए और सार्वजनिक सेवाओं में रोजगार के अवसरों और विकास योजनाओं से होने वाले लाभों के मामले में उनके साथ कोई भेद-भाव न किया जाए। अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास के लिए हर संभव सहायता दी जाएगी। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी दर्जा दिया जाएगा।

30. सरकार गांवों के गरीब लोगों के जीवन-स्तर में सुधार लाने पर सबसे अधिक ध्यान देगी। रोजगार के वैकल्पिक अवसर प्रदान कर भूमि पर निर्भरता को कम करने के प्रयास किए जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त आर्थिक सहसंबंध स्थापित किए जाएंगे तथा कृषेतर रोजगार बढ़ाया जाएगा। कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण के छोटे, मंझोले और बड़े उद्योग भी लगाए जाएंगे। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम स्व-रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रमुख जरिया बना हुआ है। इसे और सुदृढ़ बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में और रोजगार पैदा करने के लिए जवाहर रोजगार योजना को जारी रखा जाएगा। राजीव गांधी के नाम पर एक विशेष द्रुतगामी कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिसके तहत पांच वर्षों के अन्तर्गत ग्रामीणक्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के आधारभूत ढांचे में भी सुधार लाए जाएंगे।

31. हमारी अर्थ-व्यवस्था की सुदृढ़ता काफी हद तक श्रमिक वर्ग, जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिक शामिल हैं, के अथक परिश्रम पर निर्भर करती है। श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा करना तथा उनका संवर्धन करना सरकार का प्रमुख प्रयास होगा। श्रम विवादों के समाधान से संबंधित तंत्र में सुधार लाकर स्वस्थ औद्योगिक संबंध विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे।

32. स्वास्थ्य विकास प्रक्रिया का एक अनिवार्य तत्व है और वह जीवन-स्तर में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण साधन भी है। यद्यपि स्वास्थ्य रक्षा संबंधी सुविधाओं में लगातार विस्तार हुआ है, किन्तु इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मृत्यु-दर तथा अस्वस्थता दरों को, जो कि विशेष रूप से बच्चों में अभी भी बहुत ऊंची हैं, कम करने के लिए सभी संभव उपाय किए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के लिए टीकों, किटों तथा रीएजेंटों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। इसके लिए एक राष्ट्रीय जैविक संस्थान स्थापित किया जा रहा है। विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों का लाभ उठाने के लिए सरकार देशी प्रणालियों को बढ़ावा देने और उनका विकास करने के लिए कदम उठा रही है। होम्योपैथी के अध्ययन को और प्रोत्साहन देने के लिए भी सहायता उपलब्ध की जा रही है।

33. आज विश्व जनसंख्या दिवस है। यह अवसर एक ऐसी समस्या पर ध्यान केन्द्रित करने का है जो समूचे विश्व की समस्या है और जो भारत के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। हम इस समय विकास के एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे सीमित संसाधनों पर निरंतर दबाव डालती जा रही है। छोटे परिवार के मानदंड का प्रचार करके जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने पर बल दिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए बहुमुखी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सामान्य लोगों और विशेष कर महिलाओं के लिए एकीकृत स्वास्थ्य, पोषाहार, शिक्षा और प्रेरक सेवाओं में सुधार लाया जाएगा और उन्हें मजबूत बनाया जाएगा। मां और बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

34. भारत का सबसे बड़ा संसाधन इसकी जनता है। हमारे जन-संसाधनों की पूरी क्षमता का कारगर ढंग से उपयोग अभी तक नहीं हो पाया है। इसलिए शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। वर्ष 1986 में राष्ट्रीय सहमति के आधार पर तैयार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में धर्मनिरपेक्ष, आधुनिक, आत्मनिर्भर और न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की ओर अग्रसर होने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस नीति के बारे में पिछले डेढ़ वर्षों में उत्पन्न अनिश्चितता की स्थिति से भारी नुकसान हुआ है। अब हम इस नीति को नए उत्साह से लागू करने के लिए पुनः

प्रयास करेंगे । हमें सार्वजनिन साक्षरता और सभी बच्चों, खास तौर से साधनहीन वर्ग के बच्चों को अच्छे स्तर की प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लक्ष्य की ओर आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ अग्रसर होना होगा । सरकार का ऐसा विश्वास है कि शिक्षा का समान अवसर सामाजिक सौहार्द और प्रगति के लिए अत्यन्त आवश्यक है । नई शिक्षा नीति पर बल देना सरकार का मुख्य लक्ष्य रहेगा । महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा । इसके साथ-साथ हम शिक्षा की गुणता में भी सुधार लायेंगे और श्रम और ज्ञान के बीच इस समय विद्यमान गहरी खाई को समाप्त कर देंगे ।

35. समस्त आवश्यक वस्तुएं उचित दरों पर तथा समुचित मात्रा में उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी । इस प्रयास के महत्वपूर्ण अंग के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त और अधिक लक्ष्यपरक बनाया जाएगा, जिससे कि इसका लाभ गरीब से गरीब लोगों को, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिल सके । ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का उन्मूलन करना और ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन लोगों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाना हमारी कार्यनीति का अभिन्न अंग होगा । इस प्रयास में मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों और अनुपूरक पोषण कार्यक्रमों में दिए जाने वाले खाद्यान्नों की समय पर और समुचित मात्रा में सुपुर्दगी सुनिश्चित कराना भी शामिल होगा । आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, मुनाफाखोरी और कालाबाजारी जैसी असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा । घटिया माल, घटिया सेवाओं और अनुचित व्यापारिक व्यवहारों के विरुद्ध उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित, कम खर्चीले और सरल समाधान ते लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उपबंधों को और अधिक कारगर ढंग स लागू किया जाएगा । इन सारे प्रयासों पर निगरानी रखने के लिए एक कारगर मशीनरी स्थापित की जाएगी ।

36. सरकार लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशासन को और अधिक दक्ष तथा उत्तरदायी बनाने को बहुत महत्व देती है । प्रशासन के जिन क्षेत्रों से लोगों का लगातार और सीधा वास्ता पड़ता है उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक कारगर

91-M/S228LSS—2

बनाने के लिए इसकी गहन संवीक्षा की जाएगी। सरकार, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अनुसूचित जाति और जन-जाति के लिए आरक्षित खाली पड़े हुए पदों को भरने का अभियान समयबद्ध-ढंग से पूरा करेगी।

37. विदेश नीति में हम दक्षिण एशिया के अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों की द्विपक्षीय आधार पर और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन के माध्यम से सुदृढ़ करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं।

38. हम बंगलादेश में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार बनने का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि बातचीत के जरिए बकाया मसलों को सुलझा लिया जाएगा तथा आपसी सहयोग को और सुदृढ़ किया जएगा हाल ही में बंगला देश में आए तूफान से वहां जो अभूतपूर्व विनाश हुआ है उस पर हमें बहुत दु:ख हआ है और हम मैत्री की भावना से तथा अच्छे पड़ोसी के नाते राहत कार्यों में योगदान दे रहे हैं।

39. आपसी विश्वास और सहयोग के आधार पर मालदीव के साथ हमारे संबंधों में निरन्तर प्रगति हो रही है। मालदीव भी भयंकर समुद्री तूफानों का शिकार रहा है। भारत राहत प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है।

40. भूटान के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध तथा सहयोग और अधिक गहरे और सुदृढ़ होंगे।

41. नेपाल में बहु-दलीय लोकतंत्र का आविर्भाव हमारे अद्वितीय रूप से घनिष्ठ संबंधों को और ज्यादा मजबूत करेगा। पिछले साल दोनों तरफ से हुई उच्च-स्तरीय यात्राओं से हमारी आपसी राजनैतिक समझ सशक्त हुई है और हमारे आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का दायरा बढ़ाने में हमारा संकल्प समान रूप से प्रकट हुआ है।

42. सरकार पाकिस्तान के साथ तनाव कम करने के लगातार प्रयास करेगी। परस्पर विश्वास उत्पन्न करने वाले अनेक करार किए गए हैं, जिनमें सैनिक अभ्यास के बारे में पूर्व-सूचना देना और सैनिक वायुयानों द्वारा वायु-सीमा के उल्लंघन को रोकना शामिल है। हमारा विश्वास है

कि पाकिस्तान के साथ हमारे सारे मतभेद शिमला समझौते के आधार पर शान्तिपूर्ण ढंग से एवं द्विपक्षीय रूप में दूर हो जाएंगे । फिर भी, पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों को पाकिस्तान की मदद गंभीर चिन्ता का विषय है और हमारे रिश्तों में वास्तविक और सतत् सुधार के रास्ते में रोड़ा बनी हुई है ।

43. हम श्रीलंका में हो रही हिंसा से चिंतित हैं, जिसके कारण लोगों को लगातार दुःख झेलने पड़ रहे हैं और फलस्वरूप करीब दो लाख श्रीलंकाई नागरिक हमारी धरती पर शरण लेने के लिए मजबूर हुए हैं। यह महत्व-पूर्ण है कि जातीय समस्या के पूर्ण और स्थाई समाधान के प्रयासों में तेजी लाई जाए और ऐसी परिस्थितियां पैदा की जएं जिससे इन शरणार्थियों को शीघ्र वापस भेजा जा सके । भारत श्रीलंका समझौता इस उद्देश्य के लिए एक व्यावहारिक ढांचा प्रदान करता आ रहा है ।

44. हम अपने निकट पड़ोसी देश, अफगानिस्तान के साथ मित्रता और सहयोग के अपने पारंपरिक संबंधों को लगातार मजबूत कर रहे हैं। हम इस बात से चिंतित हैं कि फिर से की जाने वाली सैनिक कार्रवाई से शांति प्रयासों में गतिरोध उत्पन्न होगा। हम आशा करते हैं कि राजनीतिक हल के द्वारा वहां शीघ्र शांति और सामान्य स्थिति बहाल होगी। भारत एक मजबूत, स्थायी, स्वतंत्र और गुट-निरपेक्ष अफगानिस्तान के लिए अपने प्रयत्न जारी रखेगा।

45. 1988 में श्री राजीव गांधी की चीन यात्रा के समय से चीन के साथ हमारे संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और हम इस प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करना चाहेंगे । दोनों देशों के बीच क्रमशः बम्बई और शंघाई में अपने-अपने वाणिज्य दूतावास पुनः खोलने और सीमा व्यापार पुनः आरंभ करने पर सहमति हो गई है । वैज्ञानिक और तकनीकी आदान-प्रदान और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में भी निरन्तर वृद्धि हुई है। दोनों देशों के बीच चले आ रहे सीमा-विवाद को निष्पक्ष और न्यायोचित ढंग से सुलझाया जाना चाहिए । भारत और चीन के बीच बेहतर समझ और सहयोग का हमारे क्षेत्र और पूरे विश्व में शांति और स्थायित्व की स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

46. सोवियत संघ हमारा प्रमुख साथी है जिसके साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और व्यापक सहयोग है, जो दोनों देशों के लिए समान रूप से लाभकारी है। हम सोवियत संघ के लोगों द्वारा अपने देश में परिवर्तन लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों में सफलता की कामना करते हैं। हमें विश्वास है कि इस महान देश के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों का विकास पारम्परिक घनिष्ठता और आपसी समझ के वातावरण में जारी रहेगा।

47. हम संयुक्त राज्य अमरीका के साथ अपने सबधों को और विकिसत करना चाहते हैं। हमें विश्वास है कि दोनों देशों का उद्देश्य परस्पर लाभ-प्रद और परिपक्व संबंध स्थापित करना है। वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारत-अमरीकी सहयोग लगातार बढ़ता रहा है।

48. खाड़ी क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र है जिसके साथ हमारे प्रगाढ़ और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। वहां युद्ध के बाद की घटनाओं पर हम लगातार नजर रख रहे हैं। हम आशा करते हैं कि नई सुरक्षा व्यवस्था इस क्षेत्र के देशों की अपनी पहल पर आधारित होगी और पूर्ण रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में की जाएगी।

49. फिलिस्तीन की समस्या का कोई व्यापक समाधान ढूंढे बगैर पश्चिमी एशिया में स्थाई अथवा स्थिर शांति नहीं हो सकती। भारत ने फिलिस्तीन के लोगों के न्यायपूर्ण सघर्ष का हमेशा समर्थन किया है और फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की है। हम ऐसे किसी भी समाधान का समर्थन करने के प्रति वचनबद्ध हैं जो फिलिस्तीनियों के आत्म निर्णय के अधिकार, 1967 से अधिगृहीत सभी अरब क्षेत्रों को खाली करने तथा क्षेत्र के सभी राज्यों की सुरक्षा पर आधारित हो।

50. यूरोप के सभी देशों के साथ हमारे अच्छे परम्परागत संबंध रहे हैं। यूरोपीय समुदाय हमारा प्रमुख व्यापारिक भागीदार है और निवेश एवं प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण स्रोत है। हम राजनीतिक एवं आर्थिक हस्ती के रूप में इसके संभावित विकास को भी मान्यता प्रदान देते हैं। हम इस समुदाय के साथ निकट संपर्क बनाए रखेंगे।

51. जर्मनी के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से जर्मनी के साथ हमारे मैत्री-पूर्ण संबंध मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एवं बौद्धिक

आदान-प्रदान जो कि पिछले दशकों में भारत-जर्मनी संबंधों की प्रमुख विशेषता रहा है, के उपलक्ष्य में इस वर्ष सितम्बर में जर्मनी में भारत महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा।

52. पूर्वी युरोप के देशों में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। भारत इन देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सफल होने का स्वागत करता है और उनके साथ अपने परम्परागत मैत्रीपूर्ण संबंधों के मजबूत होने की आशा करता है।

53. हमारी इच्छा है कि जापान के साथ हमारे संबंध मजबूत हों। वह पहले से ही हमारा प्रमुख आर्थिक भागीदार रहा है। हम परस्पर संबंधों के सभी मामलों में जापान के साथ रचनात्मक बातचीत कर रहे हैं। हम उनके द्वारा दी जाने वाली सहायता की प्रशंसा करते हैं।

54. सरकार दक्षिण-पूर्व एशिया के सभी देशों के साथ घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों को जारी रखेगी। हम कम्बोडिया संघर्ष का ऐसा राजनीतिक समाधान ढूंढने में अपना योगदान जारी रखेंगे, जो कि कम्बोडिया की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखण्डता, स्वतंत्रता और गुट-निरपेक्ष स्थिति के अनुकूल हो।

55. हम फिजी में जातीय भेदभाव को संस्थागत आधार प्रदान करने के प्रयासों का कड़ा विरोध करते हैं।

56. हम दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा रंगभेद का कानूनी प्रावधान समाप्त करने के लिए किए गए उपायों का स्वागत करते हैं। हम इस संबंध में और उपाय लागू करने की अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग का पूर्ण समर्थन करते हैं ताकि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद पूर्ण रूप से समाप्त हो सके।

57. इस वर्ष जनवरी से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की अपनी वर्तमान सदस्यता की अल्पावधि के दौरान हमने बहुपक्षवाद में अपनी निष्ठा के अनुरूप न केवल अपनी राष्ट्रीय नीतियों और आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बरकरार रखने का काम भी किया है।

58. हमारी विदेश नीति में गुट-निरपेक्ष सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में हो रहे दूरगामी परिवर्तनों का भी ध्यान रखा जाएगा। हम विकासशील देशों में गरीबी कम करने तथा जीवन-स्तर में सुधार लाने के साथ-साथ शांति, निरस्त्रीकरण और विश्व सहयोग के लिए काम करना जारी रखेंगे।

59. माननीय सदस्यगण, आपके समक्ष मुख्य कार्य वर्ष 1991-92 का बजट पारित करना और राष्ट्र के लिए अति महत्वपूर्ण अनेक उपायों पर विचार करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस विषय में आपका विचार-विमर्श परिपक्वता एवं बुद्धिमत्ता से युक्त तथा देशभक्ति की भावना और राष्ट्रहितों के प्रति आपका निःस्वार्थ निष्ठा से प्रेरित होगा।

60. संकट की इस घड़ी में संसद के इस सत्र का विशेष महत्व है। आपको नेतृत्व प्रदान करने के साथ-साथ मार्ग भी प्रशस्त करना है, जिससे हमारे देशवासियों के मन में आत्मविश्वास उत्पन्न हो और वे राष्ट्र-निर्माण के कार्य में सोत्साह जुट जाएं। आपके समक्ष एक मजबूत और खुशहाल भारत का निर्माण करने का ऐतिहासिक कार्य है, एक ऐसा भारत जहां सहृदयता हो, ऐसा भारत जहां सामाजिक समरसता और सांम्प्रदायिक सौहार्द हो, एक ऐसा भारत जहां गरीबी समाप्त हो चुकी हो, एक ऐसा भारत जो समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित हो।

61. मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं।

जयहिन्द।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा-पटल पर पत्र रखे जाएंगे... (**व्यवधान**)

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, यहां ऐसी कोई कार्यवाही नहीं है। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए। महोदय, मैं आपके संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 के उपबन्धों को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री इस सदन के निर्वाचित सदस्य नहीं है। वह न तो लोक सभा के सदस्य हैं और न ही राज्य सभा के सदस्य हैं। मैं जानना चाहूंगा क्या यह संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं है। ऐसा देश में पहली बार, हुआ है। अतः मैं इस मामले पर स्पष्टीकरण चाहता हूं... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अब सभा-पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1.01 म० प०

जम्मू-कश्मीर दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1991 तथा हरियाणा के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 6 अप्रैल, 1991 को जारी की गई उद्घोषणा आदि

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, श्री एस० बी० चव्हाण की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 91(2) (क) के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल द्वारा 16 जून, 1991 को प्रख्यापित जम्मू-कश्मीर दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का संख्यांक 1) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—3/91]

(2) (एक) हरियाणा राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 6 अप्रैल, 1991 को जारी की गई उद्घोषणा, जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत 6 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 208(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—4/91]

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा 6 अप्रैल, 1991 को दिए गए आदेश, जो 6 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 209(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—5/91]

(3) हरियाणा के राज्यपाल के राष्ट्रपति को भेजे गए 2 अप्रैल, 1991 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—6/91]

(4) संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत निम्नलिखित उद्घोषणाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) :—

(एक) हरियाणा राज्य के बंसंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 23 जून, 1991 को जारी की गई उद्घोषणा, जिसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा 6 अप्रैल, 1991 को जारी की गई उद्घोषणा को रद्द किया गया है, जो 23 जून, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 315(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—7/91]

(दो) तमिलनाडु राज्य के संबंध में सविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 24 जून, 1991 को जारी की गई उद्घोषणा, जिसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा 30 जनवरी, 1991 को जारी की गई उद्घोषणा को रद्द किया गया है, जो 24 जून, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 316(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—8/91]

(तीन) असम राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 30 जून, 1991 को जारी की गई उद्घोषणा, जिसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा 27 नवम्बर, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा को रद्द किया गया है, जो 30 जून, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 323(अ) में प्रकाशित हुई है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—9/91]

दिल्ली नगर पालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1991, लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1991, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991 आदि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) :

(1) राष्ट्रपति द्वारा 30 मार्च, 1991 को प्रख्यापित दिल्ली नगरपालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का संख्यांक 1)

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०—10/91]

(2) राष्ट्रपति द्वारा 18 अप्रैल, 1991 को प्रख्यापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यदेश, 1991 (1991 का संख्यांक 2)

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०—11/91]

(3) राष्ट्रपति द्वारा 19 अप्रैल, 1991 को प्रख्यापित संविधान (अनुसूचित जन-जातियां) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का संख्यांक 3)

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०—12/91]

(4) राष्ट्रपति द्वारा 2 मई, 1991 को प्रख्यापित दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का संख्यांक 4)

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी—13/91]

(5) राष्ट्रपति द्वारा 2 मई, 1991 को प्रख्यापित आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) सशोधन अध्यादेश, 1991 (1991 का संख्यांक 5)

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०—14/91]

(6) राष्ट्रपति द्वारा 15 जून, 1991 को प्रख्यापित उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का संख्यांक 6)

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०—15/91]

(हिन्दी)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : अध्यक्ष जी, दिल्ली में म्यूनिसिपल कारपोरेशन का समय बढ़ाने की बात की जा रही है। आज की अखबार में आया है कि दिल्ली में लगभग 22 लोग मारे गए हैं ।... **(व्यवधान)**

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, हमें पहले निधन संबंधी उल्लेख लेने दीजिए ।

1.02 म० प०

श्री राजीव गाँधी की मृत्यु के बारे में संकल्प और निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मैं 21 मई, 1991 को श्री राजीव गांधी के हुए दुःखद निधन के बारे में निम्न संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"यह सभा हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की कपटपूर्ण ढंग से की गई नृशंस हत्या पर गहरा दुःख प्रकट करती है। कुछ ऐसे मूढ़ तत्वों द्वारा जानबूझकर हिंसा तथा नफरत का वातावरण बनाया गया है जिन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं है और जो निरन्तर देश की एकता तथा अखंडता के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही तत्वों ने शान्ति तथा अहिंसा के एक और ऐसे योद्धा की उसी तरह जान ले ली जैसे सात वर्ष पूर्व उनकी पूज्य मां की जान ली थी। वह ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान करना उचित समझा न कि देश की उस आम जनता से दूर रहना जो उन्हें बेहद प्यार करती थी। देश के इतिहास की इस महत्वपूर्ण घड़ी में श्री राजीव गांधी के हमसे बिछुड़ जाने से हमारा देश एक नौजवान तथा चमत्कारिक नेता की सेवाओं से वंचित हो गया है। वह एक ऐसे नेता थे जिनसे हमारी पददलित जनता को बहुत आशाएं थीं और अपने बेहतर तथा उज्जवल भविष्य के लिए उन पर अटूट विश्वास था।

हालांकि श्री राजीव गांधी हिचकिचाते हुए राजनीति में आए थे किन्तु एक बार इस क्षेत्र में पदार्पण करने का निर्णय लेने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह अत्यन्त उत्साही व्यक्ति थे, उन्होंने देश की सेवा सत्ता में रहकर तथा उससे अलग रहकर भी समर्पण की भावना से, स्पष्ट दूरदृष्टि और ओजस्विता से की। श्री राजीव गांधी राष्ट्र के युवाओं के प्रतीक थे और उनका राजनीतिक जीवन युवा पीढ़ी की इच्छाओं और आकांक्षाओं को तेजी से पूरा करने में लगा रहा।

अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने विश्व में अपनी पहचान बनाई तथा उनका तीसरी दुनिया के एक अग्रणी नेता के रूप में आदर किया जाने लगा था। निरस्त्रीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय सूझबूझ, निर्गुट आन्दोलन, पर्यावरण संरक्षण तथा रंगभेद नीति को समाप्त करने में उनके योगदान को सदा याद किया जाएगा।

अपने यशस्वी नाना की भांति दूरदर्शी तथा अपनी मां की भांति दृढ़ निश्चयी श्री राजीव गांधी ने भारत को एक आधुनिक, प्रौद्योगिकी की दृष्टि से उन्नत तथा प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में 21वीं शताब्दी में ले जाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने गरीबों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रौद्योगिकी को एक नया तथा स्पष्ट अर्थ दिया।

आज राष्ट्र संकट की घड़ी से गुजर रहा है। आतंकवाद के भयावह वातावरण से देश को बचाने के लिए तथा लोकतंत्र में जनता को विश्वास बहाल करने के लिए हमें अपने प्रयासों को और तेज करना होगा। आओ हम उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए

पुनः समर्पित हो जाएं जो राजीव गांधी को अति प्रिय थे। उनकी याद को दिल में संजोए रखने के लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।"

यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है।

अध्यक्ष महोदय : चुनाव अभियान के दौरान 21 मई को श्री राजीव गांधी की केवल 47 वर्ष की ही अल्प आयु में हत्या से उनका राजनैतिक जीवन ही समाप्त नहीं हुआ, वरन् पूरे देश को गहरा आघात पहुचा है। मृत्यु के क्रूर हाथों ने हमारे बीच से एक ऐसे व्यक्तित्व को छीन लिया है जिसने हमारे राष्ट्रीय जीवन के लगभग प्रत्येक कदम पर अमिट छाप छोड़ी है। संभव है कि श्री राजीव गांधी से लोगों का वैचारिक, राजनैतिक या आर्थिक मामलों के संदर्भ में मतभेद हो, किन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने अपनी माता के समान राष्ट्र की एकता और अखण्डता के लिए अभूतपूर्व बलिदान दिया है और इस प्रयास में वे शहीद हो गए।

20 अगस्त 1944 को स्वतन्त्रता सेनानियों के प्रतिष्ठित परिवार में जन्में श्री राजीव गांधी भारत के प्रथम प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू के नाती थे तथा श्री फिरोज गांधीं तथा श्रीमती इंदिरा गांधी के बड़े पुत्र थे। वह ऐसे परिवार से संबंधित थे जिनका स्वतन्त्रता संघर्ष में तथा बाद में आधुनिक भारत के निर्माण में अद्वितीय योगदान रहा है।

दून स्कूल, देहरादून तथा ट्रिनिटी कालेज कैम्ब्रिज में शिक्षित श्री राजीव गांधी ने मैकेनिकल इजीनियरिंग में पाठ्यक्रम किया था। चूंकि विमान चलाने के वे बेहद शौकीन थे, इसलिए इग्लैंड से लौटने के बाद उन्होंने कर्मशियल पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया और इंडियन एयर लाइन्स में सेवा शुरू की।

श्री राजीव गांधी ने वर्ष 1981 में उत्तर प्रदेश के अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीतने के पश्चात् इस सभा में प्रवेश किया था तथा नौवीं लोकसभा के भंग होने पर दिनांक 13 मार्च, 1991 तक उन्होंने उस निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 1991 के आम चुनावों के दौरान वे पुनः उसी निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे तथा मरणोपरांत भारी अन्तर के साथ वहां से विजयी घोषित हुए।

श्री राजीव गांधी ने एक ऐसे कठिन समय में जबकि सम्पूर्ण राष्ट्र उनकी प्रिय माता तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या से शोक संतप्त था, में सत्ता की बागडोर संभाली तथा चालीस वर्ष की युवा उम्र में प्रधानमंत्री बने। इसके तुरन्त पश्चात् एतिहासिक वर्ष 1984 के आम चुनावों में सभा में तीन-चौथाई स्थान प्राप्त करके उन्होंने अपनी पार्टी को अभूतपूर्व विजय दिलाई। यह उनके राजनैतिक जीवन की महान उपलब्धि थी जिसने देशवासियों में उनके प्रति काफी उच्च आशाओं तथा आकांक्षाओं को जन्म दिया। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उन्हें सर्वसम्मति से दल का नेता पुनः चुना गया तथा उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया।

श्री राजीव गांधी को विश्व में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ।

एक शिष्ट, सामान्यतः संकोची तथा एक विनीत व्यक्ति श्री राजीव गांधी ने सहजभाव तथा संतुलित भाव से अपने पद का कार्यभार संभाला। वास्तव में जिन व्यक्तियों को उन्हें इस सभा में

अथवा सभा से बाहर उन्हें देखने तथा भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ था, उनके लिए उस मुस्कान को भूल पाना असंभव होगा जो उनके चेहरे पर हमेशा बनी रहती थी ।

एक ऐसे प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी के रूप में जो स्वयं ही किसी हत्यारे की गोली का शिकार हुई थी, श्री राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्री काल के दौरान अपना सारा समय हिंसा तथा पृथकतावाद् को समाप्त करने तथा पृथकतावादी तथा असंतुष्ट तत्वों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने के लिए सच्चे प्रयास करने में लगा दिया । इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किए गए उनके प्रयासस्वरूप ही पजाब, असम तथा मिजोरम जैसे ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए । श्री गांधी ने देश के उत्तरपूर्वी भाग से विद्रोहियों को समाप्त करने में तथा गोरखालैंड समस्या का सम्माननीय समझौता कराने में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी ।

उनके प्रधानमंत्री काल के दौरान ही 52वां संविधान संशोधन विधेयक–जिसे दल-बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है तथा 61वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसके अन्तर्गत मतदाता की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए । सबसे निचले स्तर पर स्थानीय निकाय अर्थात् पचायतों को संसाधनों तथा शक्तियां सुपुर्द करने के स्वप्न को अभी भी पूरा किया जाना शेष है । चार वर्ष की अवधि में शिक्षा, आवास, सिंचाई, कृषि, उद्योग, महिला-कल्याण, बाल-कल्याण, खेलकूद, संस्कृति तथा पर्यावरण इत्यादि के क्षेत्रों में नयी नीतियां बनाने के लिए भी वे ही जिम्मेवार थे ।

एक स्वप्नदर्शी, आदर्शवादी तथा प्रौद्योगिक रूप से विकसित भारत को 21वीं सदी में ले जाने के उत्सुक श्री राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्रीत्व काल के दौरान राष्ट्रीय जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिए एक उत्साहपूर्ण अभियान चलाया था । विभिन्न प्रोद्यौगिक लक्ष्य जो उन्होंने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्धारित किए थे वे यथाशीघ्र देश को आधुनिक बनाने की उनकी तीव्र इच्छा के द्योतक थे ।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में श्री राजीव गांधी की एक सुविख्यात तथा चर्चित छवि थी जिनका नाम काफी स्नेह तथा अपार सम्मान से लिया जाता था । अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा निरस्त्रीकरण के लिए किए गए उनके प्रयासों से उन्हें तथा उनके देश के लिए काफी सम्मान-प्रशस्ति प्राप्त हुई । 'दक्षेस' के प्रति उनकी गहन तथा चिरस्थायी वचनबद्धता थी तथा इसके सदस्यों में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में भी उन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी । उत्तर-दक्षिण बातचीत को सक्रिय करने में तथा दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पन्द्रह गुट-निरपेक्ष देशों के समूह की स्थापना करने में श्री राजीव गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी ।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पर्यावरण की सुरक्षा के प्रबल समर्थक श्री राजीव गांधी ने पूरे संसार का ध्यान पर्यावरण की बदतर होती स्थिति की ओर सार्थक रूप में दिलाया । श्री गांधी ने 'प्लेनेट प्रोटेक्शन फंड' का सुझाव रखा, जिसे कुआलालम्पुर में राष्ट्र मंडल प्रमुखों की बैठक में स्वीकार कर लिया गया ।

रंगभेद के खिलाफ एक अदम्य संघर्षकर्त्ता के रूप में उनके द्वारा की गई पहल के कारण ही ऐसे देशों को सहायता पहुंचाने के लिए उनकी अध्यक्षता में अफ्रीका फंड की स्थापना की गई।

उन्हीं के नेतृत्व में भारत तथा सोवियत संघ के बीच में पारम्परिक रूप से घनिष्ठ सम्बन्धों को और नयी दिशा मिली तथा मजबूत बनाया गया।

राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानते हुए श्री राजीव गांधी ने भारत तथा उसके पड़ौसी देशों में परस्पर भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए हमेशा प्रयास किया। उन्होंने पाकिस्तान तथा चीन से द्विपक्षीय संधियों को औपचारिक रूप दिया। वर्ष 1988 में मालदीप द्वारा अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए उसे आपातकालीन सहायता पहुंचाई।

गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में श्री राजीव गांधी की भूमिका तथा विश्व शांति के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदम से विश्व सम्प्रदाय में उनकी एक स्थायी साख बन गई है। उनकी अन्त्येष्टि पर 63 देशों के विश्व प्रसिद्ध नेताओं की उपस्थिति ही श्री राजीव गांधी की उस विश्व ख्याति तथा सम्मान का सबूत देती है जो उन्हें विश्व नेताओं से प्राप्त थी।

विरोधी दल के नेता के रूप में भी श्री राजीव गांधी ने बड़े सुचारू ढंग से तथा सहजभाव से कार्य किया। एक निपुण वक्ता के रूप में सदन में उनकी बात बड़े ध्यान तथा सम्मानपूर्वक सुनी जाती थी।

युवा पीढ़ी के नेता के रूप में श्री राजीव गांधी ने विभिन्न खेलकूदों के प्रति अपनी गहन रूचि दिखाई। नई दिल्ली में वर्ष 1982 में आयोजित एशियाई खेलों तथा कई अन्य खेलकूद तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए वे प्रेरणास्रोत थे।

माननीय सदस्यगण, इस देश की अधिकांश जनता ने इस युवा नेता की मृत्यु पर विलाप इस प्रकार से किया है जैसे कि उनके अपने ही परिवार से किसी सदस्य को उसकी युवावस्था में उनसे छीन लिया हो। परीक्षा की इस घड़ी में श्रीमती सोनिया गांधी जी तथा उनके बच्चों द्वारा चुपचाप सहन किए जा रहे दुःख तथा पीड़ा में हम भी पूरी तरह से उनके साथ हैं। यह कहावत कितनी सत्य तथा दुःखद है कि जिन्हें ईश्वर प्रेम करता है उनकी मृत्यु भी जल्दी होती है। इतिहास के पन्नों में उनका नाम सदैव ईसामसीह, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, राष्ट्रपति कैनेडी, मार्टिन लूथर किंग, श्रीमती इदिरा गांधी के साथ सदैव लिया जाता रहेगा। हम नहीं जानते कि उनके जैसा इंसान कब पुनः जन्म लेगा।

प्रधानमंत्री—श्री पी० वी० नरसिंह राव : अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी के सम्बन्ध में भावना तथा व्यक्तिगत हानि की गहन भावना के बिना कुछ भी बोलना मेरे लिए असंभव है।

उनकी आकस्मिक मृत्यु ने हमें अंधेरे में मंझधार में छोड़ दिया है। उन्हें हमसे एक अमानवीय हिंसक तथा कायरतापूर्ण कार्यवाही द्वारा छीन लिया है। उनकी सग्रामयिक तथा दुःखद मृत्यु से राष्ट्र ने एक युवा तथा अत्यधिक बहुआयामी नेता को खो दिया है। एक कठिन दौर में उन्होंने कार्यभार संभाला तथा देश को सर्वाधिक कठिन परिस्थियों से उबारा। भारत का उनका सपना, दलितों के

प्रति उनकी चिन्ता, विश्व शांति के लिए उनकी खोज जैसे प्रयास न केवल हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं बल्कि विश्व भर में सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं। राजीव जी की मृत्यु से उत्पन्न शून्य को भरना मुश्किल होगा।

राजीव जी को अपने देशवासियों से गहन प्रेम तथा स्नेह था। उनका स्वप्न था कि उनका देश विश्व के अग्रणी देशों में से एक हो। उन्होंने गरीबों तथा दलितों के उत्थान के लिए अनथक रूप से काम किया। भारत की जनता को गरीबी से उबारने के लिए वैज्ञानिक प्रगति में भी उन्होंने तीव्र तथा गहरी रूचि दिखाई। तथा वैज्ञानिक प्रगति को इसके लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने हमारे देश की न केवल भौतिक प्रगति में ही अपना योगदान दिया बल्कि अपने देशवासियों में भारतीय होने में गर्व, एक महान सभ्यता के अनुवंशी, सभी बाधाओं को दूर करने का विश्वास, तथा कल के भारत का अपने आप निर्माण करने की सुनिश्चितता की भावना को जगाने का भी प्रयास किया।

राजीव जी ने भारत को विश्व में ख्याति दिलाई। विश्वशांति, निरस्त्रीकरण तथा लोकतंत्र में उनके अविचल विश्वास के प्रति किए गए उनके प्रयासों को विश्व ने मान्यता दी। गुट-निरपेक्ष, विश्वशांति, निरस्त्रीकरण, विकास तथा पर्यावरणीय सुरक्षा के प्रति उनकी श्रद्धा ने उन्हें विश्व स्तर पर ख्याति दिलाई।

राजीव जी की उत्साहपूर्ण भावना, साहस, हमारे देश तथा उसकी जनता के भविष्य में विश्वास तथा अखंडता हमारी स्मृत्तियों में सदैव यादगार रहेंगी। अपने लिए निर्धारित किए गए उद्देश्यों को उन्होंने बिना विलम्ब के प्राप्त किया। उन्होंने हमारे सपनों के भारत के निर्माण की दिशा में एकनिष्ठ होकर कार्य किया।

आज हमारे बीच राजीव जी नहीं हैं। परन्तु उनके उद्देश्य हमारे सामने हमेशा रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि उनके अधूरे छोड़े गए कार्यों को पूरा करेंगे, उन पर खरे उतरेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : 21 मई को जब हम में से अधिकांश लोग अपने चुनाव अभियान में लगे हुए थे, उस रात्रि को यह सूचना मिली कि मद्रास के पास देश के पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की बहुत क्रूर ढंग से हत्या कर डाली गई। सहज विश्वास नहीं होता था। जब एक सार्वजनिक सभा में मुझे किसी ने आकर, लिखकर एक स्लिप दे दी और इस बात की गहरी अनुभूति होती थी कि यह हिंसा और हत्या की राजनीति उस पर अगर हम अंकुश नहीं लगा सकते, उसको रोक नहीं पाते तो उसके परिणाम देश के लिए बहुत ही भयानक हो सकते हैं। मुझे स्मरण है 1985 में जब राजीव गांधी चुनाव के बाद प्रधान मंत्री बने थे तो उन्होंने प्रत्येक दल के प्रमुख लोगों को बुलाकर घंटे भर अलग बात की थी। वहां से लौटने पर मैं एक गहरी छाप लेकर आया कि यह व्यक्ति चाहे राजनीति में आज आया हो, राजनीतिक विषयों की गहरी जानकारी भले ही न हो लेकिन व्यक्ति के नाते बड़ी शालीनता है, सहृदयता है और बहुत सज्जनता है और मैं कह सकता हूं कि चाहे मेरी पार्टी उनकी राजनीति की आलोचक रही है, व्यक्तिगत तौर पर जो यह छाप मेरे मन पर पहली मुलाकात से हुई, उसके कारण स्नेह सम्बन्ध व्यक्तिगत रूप से आखिर तक बने रहेंगे। बहुत मधुर सम्बन्ध रहे और इस कारण उनके इस निधन से उनकी पार्टी को, उनके परिवार को और सारे देश को जो धक्का लगा, उसकी कल्पना मैं कर सकता हू, सहज अनुभव कर सकता हूं।

इस समय आगे चलकर के और भी नाम इसमें हैं कई सदस्यों के, उनमें से एक नाम और भी है जिसके साथ इस सदन में बहुत सारे सदस्यों का व्यक्तिगत संबंध रहा होगा और मैं तो उनको बहुत निकट से जानता था और वे भी इसी हिंसा और हत्या की राजनीति के शिकार हुए इसी चुनाव के दौरान। वे हैं श्री ईश्वर चौधरी, जिनके प्रति भी मैं अपनी श्रद्धांजलि इस अवसर पर अर्पित करता हूं और मुझे लगता है कि हम लोगों को मिलकर इस हिंसा की राजनीति की परिसमाप्ति के लिए जो भी आवश्यक उपाय हों, उनको उठाना चाहिए ।

अध्यक्ष जी, मैं आप के माध्यम से दोनों परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष जी, राजीव जी जब जन-जीवन में आये तो युवा पीढ़ी की एक आशा लेकर आये। इतना बड़ा जन-विश्वास शायद ही कभी किसी को मिला हो। उनके अन्दर युवा पीढ़ी का केवल उत्साह ही नहीं था, युवा पीढ़ी की हिम्मत उनके अन्दर थी। यदि युवा पीढ़ी को अगर परिभाषित किया जाये तो सम्भावनाओं के अर्थ में परिभाषित किया जा सकता है। उनकी इस हत्या से कितनी सम्भावनायें मिट गयीं, उन पर पटापेक्ष हो गया। हम भी नहीं जानते और यह देश भी नहीं जानता। युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी शक्ति होती है उसके सपनों की और उस मायने में भारत में उनका एक सपना था– आधुनिक भारत का सपना था। जगत के अन्दर भारत अपना स्थान पाये, उसका अपना सपना था। उन्हें अपने विश्वासों पर दृढ़ता थी। हम लोगों के मत-मतांतर भले ही हों लेकिन जब तक उनको विश्वास नहीं होता था कि यह चीज सही है या उनके हिसाब से उचित है तब तक वह दूसरे दबाव के अन्दर, मैं नहीं समझता कि वे अपने विचारों को बदलते थे और यह सही है। अगर हम देखें तो हमें उनके निश्चय की दृढ़ता, उनकी अपनी दृष्टि से वे समझते थे कि वह देश हित के लिए है। उसी दृढ़ता के ही कारण बनीं उनके जीवन की आहुति। चिन्ता यह होती है कि हमारे देश के अन्दर हिंसा हो रही है लेकिन बाहर की शक्तियां आकर हमारे देश के अन्दर इस तरह से हमारे जन-जीवन, हमारी राजनीति में हिंसा के घटनाक्रम को हमारे जन-जीवन में बदलने की क्षमता रखती हैं, यह हम सब के लिए चिन्ता का विषय है। हमारे जन-जीवन में और जनतांत्रिक ढंग से उसका एक ढंग है, मत-मतांतर होते हैं उसकी जनता के माध्यम से निर्णय होते हैं। लेकिन हिंसा का प्रयोग ऐसा है जो पूरा अर्थ ही नहीं रखता है हमारे जन-जीवन के जनतंत्र का आज सबके लिए, प्रधान मंत्री जी और आडवाणी जी ने जो यह चिन्ता प्रकट की, इसमें हम लोग शरीक होते हैं, और हमें मिलकर इसका कोई रास्ता निकालना होगा। उन्होंने अर्थ-नीति, विदेश-नीति, व्यापार-नीति और औद्योगिक-नीति पर नयी दिशाएं देने की कोशिश की है और जो भारत के सामने नयी चुनोतियां हैं उसको अपनी दृष्टि से उन्होंने एक सबल पक्ष में अपनी पहचान दी है। इसी के साथ जहां हम इस राष्ट्रीय वेदना में शरीक होते हैं, उनके परिवार के साथ शरीक होते हैं, वहीं पर श्री एस० ए० डांगे और अपने साथी दिनेश गोस्वामी डांगे जी इतने बड़े नेता रहे हैं और गोस्वामी जी हमारे साथी रहे हैं उनके निधन पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना करता हूं।

(अनुवाद)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्री राजीव गांधी की नृशंश हत्या पर हम अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। उनकी हत्या कर हमारी लोकतान्त्रिक व्यवस्था के विरुद्ध एक जघन्य अपराध किया गया है। उनमें अपने जीवन के उत्कृष्ट क्षणों में उन्हें हमसे दूर कर दिया गया उससे हमारी व्यथा और वेदना और अधिक हो जाती है।

महोदय, इस देश के प्रधान मंत्री के रूप में और फिर विपक्ष के नेता के रूप में श्री राजीव गांधी ने देश के राजनीतिक जीवन पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। उनका व्यक्तित्व शानदार था। वे एक युवा नेता थे और उनसे बड़ी आशाएं थी और उन्हें अपने सपनों को पूरा करना था। लेकिन हिंसा के वातावरण के कारण और साम्राज्यवादी ताकतों के षड्यंत्र के कारण, जिसकी आशंका हमें थी, एक युवा नेता की, जिसका भविष्य बहुत ही उज्जवल था, देश की सेवा करते हुए अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा। यह आवश्यक है कि हम अपने राजनीतिक जीवन से न केवल इस हिंसा की प्रवृत्ति को पूर्ण रूप से समाप्त करने का प्रयास करें बल्कि हमें उन व्यक्तियों अथवा ताकतों को पकड़ने की भी पूरी कोशिश करनी चाहिए जो इस जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी हत्या को हम देश की एकता और अखण्डता पर तथा हमारे देश के धर्म निरपेक्ष स्वरूप पर जान बूझ कर किया गया आघात मानते हैं। जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है यह आवश्यक है कि इसकी एकता, अखण्डता और धर्म निरपेक्षता बरकरार रहनी चाहिए और हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि भविष्य में ऐसी घटना फिर से न घटे। अपने जीवन का बलिदान कर श्री राजीव गांधी ने यह उदाहरण पेश किया कि किस प्रकार वे अपनी सुरक्षा व्यवस्था की उपेक्षा कर जनता के बीच आये। यह आवश्यक है कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। महोदय, इसलिए हम आपके माध्यम से उनके निधन पर गहरी संवेदना प्रकट करते हैं तथा उनके शोक सन्तप्त परिवार को अपनी संवेदना संदेश देते हैं।

महोदय, इस सभा के कुछ अन्य प्रतिष्ठित सहयोगियों को भी हमन खो दिया है। मुझे श्री चित्त महाता के नाम का उल्लेख अवश्य करना चाहिए जो छठी लोक सभा से ही इस सभा के सदस्य रहे हैं और विगत चुनाव में भी वे भारी बहुमत से निर्वाचित हुए थे जिस से यह स्पष्ट होता है कि उन्हें अभी तक जनता का समर्थन और विश्वास प्राप्त था। वे एक ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे और कामरेड महाता को इस देश के ग्रामीण लोगों का, उन के क्षेत्र के ग्रामीण लोगों का अत्यधिक समर्थन प्राप्त था जो कि अपने पूरे जीवन काल में दलित वर्ग विशेष कर किसानों की सेवा करते रहे। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका रुझान था और हमारे देश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने सघर्ष किया। महोदय, मैं कामरेड चित्त महाता के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं और मैं यहां अपने एक बहुत ही अच्छे मित्र श्री दिनेश गोस्वामी जी के बहुत ही दुखद परिस्थितियों में असामयिक निधन का भी उल्लेख करता हूं। वे बहुत समय से हमारे सहयोगी रहे। वे बहुत ही सौम्य आचरण के व्यक्ति थे। हम जानते हैं वे बहुत ही योग्य सांसद थे जो केन्द्रीय मंत्रीमंडल में विधि मंत्री, इस्पात और खान मंत्री के रूप में अपने अल्प पदावधि में भी एक अमिट छाप छोड़ गये। हमने कामरेड डांगे को भी खो दिया है जिनके योगदानों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। साम्यवादी आन्दोलन तथा ट्रेड यूनियन के क्षेत्र में भी उनका एक अनोखा स्थान है।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री ईश्वर चौधरी जी के निधन पर भी शोक प्रकट करता हूं जो कि पिछली लोक सभा में हमारे सहयोगी थे और मैं उन्हें पहले से भी जानता हूं जब वे एक सदस्य थे। मैं आपसे अनुरोध करता हू और आपके माध्यम से अपने इन सभी सहयोगियों के शोक सन्तप्त परिवारों को अपना शोक संदेश देता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के निधन सम्बन्धी वक्तव्य को इतने विस्तृत रूप में व्यक्त किया है कि इस सम्बन्ध में कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया है। आपने और माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जिन भावनाओं को व्यक्त किया है उसमें हम सब भी शामिल हैं। अपने जीवन के उत्कृष्ट क्षणों में जब किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है और विशेषकर उस व्यक्ति का जिसका देश की राजनीति में इतना निर्णायक और महत्वपूर्ण स्थान हो तो यह बात बहुत ही दुखद होती है। और जिन परिस्थितियों में उनका निधन हुआ वह और भी दिल दहला देने वाली हैं।

मुझे याद है जब उनकी मां की हत्या कर दी गयी थी। हमने इस आघात को महसूस किया था क्योंकि उस समय पूरे राष्ट्र को इस पर शोक हुआ था और हमारे इतिहास में यह पहली घटना थी जब किसी प्रधान मंत्री की हत्या उनके निवास स्थान पर कर दी गयी हो। हम इस प्रकार की घटना के आदी नहीं हैं। हम मतों द्वारा परिवर्तन लाने के आदी हैं न कि गोलियों द्वारा। हमें ऐसा लगा था कि इन्दिरा जी कि हत्या के पीछे एक गहरी साजिश रची गयी है। इस सभा में और समाज के हर वर्ग को यह चिन्ता थी कि इस षड़यंत्र का भांडाफोड किया जाना चाहिए और जैसा कि मैं समझता हू कि राजीव जी की हत्या के पीछे भी एक साजिश है। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि इसके पीछे चाहे जो भी कारण रहा हो और मुझे विश्वास है कि इन्दिरा जी की हत्या के पीछे भी एक षड्यंत्र था और दुर्भाग्यवश उच्चतम न्यायालय के एक विद्वान जज द्वारा जांच आयोग का नेतृत्व किये जाने और उनके द्वारा भारी भरकम रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बाद भी उस साजिश का भेद अभी तक नहीं खुल पाया। हम अन्त तक यह नहीं जान पाये कि इस साजिश के पीछे कौन सी ताकतें हैं और इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। मैं नहीं जानता हू कि इस बार क्या होने जा रहा है। इस हिंसा की प्रवृत्ति जो कि हमारे देश में पनप रही है, अब अत्यंत खतरनाक सीमा तक पहुंच गई है। इसे पूरी शक्ति से दृढ़तापूर्वक दबाया जाना चाहिए। यह बात महत्वपूर्ण नहीं थी प्रत्यक्ष हत्यारा कौन है बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि उसके पीछे षड्यंत्रकारी कौन हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे इन जांच करने वाली एजेंसियों पर विश्वास नहीं है, शायद में कुछ द्वेषी हूं। लेकिन मैंने वर्षों से यह देखा है कि वे इन मामलों में किस प्रकार कार्य करते हैं। यदि वास्तव में वे इस देश को और यहां कि जनता को उन षड्यत्रों से अवगत करा सकें जो कि इस देश को कमजोर बनाने के उद्देश्य से प्रमुख हस्तियों के खिलाफ रचे जा रहे हैं तो वे वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्य करेंगे। और सच्चाई का पता लगाने में हम सभी को सहयोग और सहायता करनी चाहिए।

जहां तक राजीव जी का सम्बन्ध है, निश्चय रूप से वे बहुत ही मिलनसार और सौम्य व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। यह बात हर कोई जानता है। जो कोई भी उनसे मिला है उन्होंने मनोहर मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया है उन लोगों के साथ भी जिन से उनका गहरा राजनीतिक मतान्तर था वे बहुत ही शिष्टता और नम्रतापूर्वक पेश आया करते थे।

जैसा कि आपने सही कहा है वे उन कुछेक नेताओं में थे जिन्होंने इस देश के विकास के लिए प्रौद्योगिकी को आवश्यक समझा। हमारे बहुत कम नेताओं ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के प्रति वचनबद्धता जाहिर की है। इसलिए यदि इस ढंग से उनकी हत्या नहीं कर दी जाती तो मैं समझता हूं कि युवा होने के नाते और इस प्रकार का दृष्टिकोण रखने के कारण वे इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकते। निश्चित रूप से हमारे बीच मतान्तर था लेकिन इन मतान्तरों के कारण यह तथ्य कभी नकारा नहीं जा सकता कि वे विशिष्ट व्यक्तित्व के थे और आने वाले वर्षों में इस देश को उनसे बड़ी आशाएं थी।

एक बार मैं उनके साथ था जब हम दक्षिण अफ्रीका में नामीबिया के स्वतन्त्रता समारोह में उपस्थित थे। उस अवसर पर भी मैंने देखा कि अफ्रीका और गुटनिरपेक्ष देश के अनेक नेतागण जो उस अवसर पर उपस्थित थे, उन्होंने जिस ढंग से उनका अभिवादन किया उससे राजीव जी के प्रति उनका सम्मान प्रकट होता था। एक अन्य अवसर पर, इस देश से एक युवा शिष्टमंडल जिसमें कि वे युवा संगठन जिनका कि इस देश के विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नेतृत्व किया जाता है, शामिल थे, कोरिया में अन्तर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भेजा जा रहा था। वहां एक समारोह हुआ था जिसमें इन युवाओं जिन्हें भारत के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था, का स्वागत करने के लिए मुझे भी वहां उपस्थित होने का अवसर मिला था। राजीव जी ने उनसे वहां बातें की थी और उनसे कहा था कि अपने देश में हमारे बीच अनेक आपसी मतभेद होते हैं, हम एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, हमारे बीच टकराव होता है, हम एक दूसरे पर विभिन्न दोष लगाते हैं लेकिन आप लोगों को वह स्मरण रहना चाहिए कि जब हम बाहर जाते हैं, जब हम किसी दूसरे देश में होते हैं तो हमें ये सभी आपसी मतभेद और झगड़े भुला देने चाहिए। जब तक हम वहां हैं हमें भारतीयों की तरह और अपने देश के प्रतिनिधियों की तरह व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसलिए जब आप विदेश जा रहें हैं तो कृपया अपने सारे झगड़े और मतभेदों को यहीं भुला दीजिए। जब आप वापस आयेंगें तो फिर आप उन्हें शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब आप वहां हैं आपको इस देश की प्रतिष्ठा के लिए अच्छे भारतीय नागरिक सा व्यवहार करना चाहिए। इन छोटी-छोटी बातों से ही स्पष्ट होता है कि उनका रवैया वैसा था जैसा कि एक नेता का और विशेषकर युवा नेता का होना चाहिए।

मैं सभा का और अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं। इस समय जिस प्रकार क्रूरतापूर्वक उनकी हत्या कर उनकी विधवा, पत्नी, उनके पुत्र और पुत्री को शोक सन्तप्त कर दिया गया, इस दुख में मैं भी आपके साथ शामिल हूं। मैं समझता हूं कि अन्य सभी बातों के बावजूद इस परीक्षा की घड़ी में उन सभी ने जिस प्रकार का साहस, धैर्य दिखाया है उसकी सभी व्यक्ति प्रशंसा करेंगे। अपने दल की ओर से में उन्हें शोक संदेश देता हूं और श्री राजीव गांधी के निधन पर गहरी संवेदना प्रकट करता हूं।

अन्य सभी सहयोगी भी जिनके नाम यहां सूची में हैं इन वर्षों के दौरान करीब-करीब सबों को मैं जानता था। उनमें से शायद सभी के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं थे। उन सभी के निधन पर मैं शोक प्रकट करता हूं।

हाल ही में कामरेड चित्त महाता का निधन हो गया जो कि पांच दिनों पूर्व ही यहां उपस्थित थे और मेरी उनसे बात भी हुई थी। वे हंसते-बोलते एक स्वास्थ्य और सामान्य व्यक्ति थे। फिर दो दिनों के अन्दर ही हमने सुना कि उनका निधन हो गया। वे मेनिनजाइटिस नामक रोग से ग्रसित हो गये जिसमें किसी के भी बचने का अवसर नहीं रहता है।

वह राष्ट्र के सबसे पिछडे हुए जिले पुरुलिया में काम कर रहें थे जो पश्चिम बंगाल में आता है। पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने अपने आप को इस क्षेत्र के पद-दलित ग्रामीण लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। मैं इस दुखद घटना पर फारवर्ड ब्लाक के अपने मित्र श्री चितबसु जिनकी पार्टी से कामरेड महाटा संबंधित थे अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूं।

कामरेड डागें जो मेरे नेता रहें है का 93 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया। श्री डागें को साम्यवादी आन्दोलन और श्रमिक आन्दोलन के अग्रदूत के रूप में याद किया जायेगा। उनके कट्टर आलोचक भी उनको एक ऐसा विद्वान, लेखक और योग्य वक्ता मानते थे जिसने अंतर-राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की थी। अतः मैं उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं।

मैं श्री दिनेश गोस्वामी की मृत्यु पर भी शोक व्यक्त करता हूं जो कल तक हमारे साथ थे और जिनकी भरी जवानी में ही मृत्यु हो गई। वह संसद में एक ओजस्वी वक्ता थे। जिन्होंने उन्हें सुना है उन्हें यह याद होगा। श्री वी० पी० सिंह की सरकार में उन्होंने मंत्री के रूप में एक शानदार काम किया। न्याय और कानून मंत्री तथा इस्पात मंत्री के रूप में थोड़े ही समय में उन्होंने अपनी एक पहचान बना ली।

हमारे यह सभी मित्र हमें छोड़कर जा चुके है। किसी न किसी समय हम सबको यहां से जाना है। अतः उनके लिए सबसे अच्छा कार्य हम यही कर सकते है कि उन का स्मरण करें और इस बात की शपथ लें कि हम उन कार्यों को जारी रखेंगें जिनके लिए वे सारा जीवन कार्य करते रहे।

श्री बी० विजयकुमार राजू (नरसापुर) : अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या एक क्रूर कार्य था और हम सबको इस पर अफसोस है। उनका संबंध स्वतंत्रता सेनानियों के एक महान परिवार से था। वह पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाती और श्रीमती इन्दिरा गांधी के पुत्र थे। मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी का अनुयायी था। 1984 में जब पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हो कर आया था उस समय श्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे तब मुझे पहले सदस्य के रूप में और फिर प्रधानमंत्री के रूप में उनकी क्षमता को देखकर हैरानी होती थी। एक नौजवान में इतनी क्षमता की मैंने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। सरकार चलाने में उन्होंने अपनी क्षमता का अच्छा परिचय दिया। उनकी सराहना भारत में ही नहीं अपितु समूचे विश्व में हुई। विदेशी मामलों में उनका दृष्टिकोण बहुत सहयोगपूर्ण था और सारे विश्व में उनकी एक अच्छी छवि थी।

दुर्भाग्यवश इतनी कम उम्र में उनकी क्रूरता के साथ हत्या कर दी गई। इस प्रकार की भविष्य में और कोई हत्या नही होनी चाहिए और सरकार को सभी अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्र और अधिक महान नेताओं को नहीं खो सकता। मैं आपके माध्यम से उनके परिवार के लोगों के प्रति अपना शोक प्रकट करता हूं।

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, 21 मई को बीभत्स बम विस्फोट से हुई श्री राजीव गांधी की मृत्यु से हम सब को गहरा धक्का लगा है। यह देश की एकता और अखंडता पर गहरा आघात था। यह राष्ट्र का कर्त्तव्य हो जाता है कि राष्ट्रविरोधी, अलगाववादी और समाज-विरोधी तत्वों को पराजित किया जाए जिससे दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी जा सके।

उनकी अभिलाषा भारत को ससम्मान 21वीं सदी में ले जाने की थी। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में भारत के विकास के लिए उन्होंने अनेकों कार्य किये। भारत और विदेशों में उन्होंने शांति का प्रचार किया। 1984 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और हमारे प्रिय नेता एम० जी० आर० जब बीमार पड़े थे उस समय श्री राजीव गाधी ने जो सहायता दी थी उसे भारत के लोग अभी तक याद करते हैं। राजीव गांधी ने एक धर्मनिरपेक्ष, संयुक्त और अखंड भारत की परिकल्पना की थी। राष्ट्र को एक जुट रखने के लिए उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। जब हम इस प्रकार की दुखद मृत्यु की भर्त्सना करते है तब सभी राजनैतिक दलों को एकमत होकर राष्ट्र के हित में भविष्य में राजनैतिक नेताओं की हत्याओं को रोकने के उपाय ढूढ़ने चाहिए।

राजीव गांधी के परिवार के लिए यह त्रासदी तो और भी दुखद है। पिछले एक दशक में राजीव गांधी के परिवार ने अपने तीन सदस्यों को खो दिया। 1980 में संजय गांधी की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। 1984 में अलगाववादी शक्तियों ने श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या कर दी। अब श्री राजीव गांधी ने अपना जीवन खो दिया। हमने एक महान नेता और सिद्धान्त प्रिय व्यक्ति खो दिया। यह हमारे राष्ट्र की अपूर्व क्षति है।

अन्नाद्रुमक की ओर से मैं शोक संतप्त परिवार को और कांग्रेस पार्टी को अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।

श्री शिबू सोरेन (दुमका) : अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी की हत्या से केवल हमारे देश में ही नहीं, सारे विश्व में तहलका मच गया था। जिस वक्त हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो इस देश का बच्चा-बच्चा इस खबर से ताज्जुब में पड़ गया कि इस देश में यह क्या हो रहा है। इनके प्रति हम लोग जितना भी दुख व्यक्त करें, कम ही होगा। आपने इनके प्रति जो संवेदना व्यक्त की है, उसमें मैं और मेरी पार्टी के सदस्य सम्मिलित हैं। हमारी प्रार्थना है कि ईश्वर शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे।

हमारे और भी साथी हैं। पुरोलिया के श्री चित्त मेहता जी हम लोगों के बहुत नजदीकी साथी थे। हम लोग दिल्ली में ही थे कि हमें सुबह उनके निधन की खबर मिली तो हम बहुत ताज्जुब में पड़े।

इसी प्रकार से जितने हमारे साथी हम लोगों को छोड़कर चले गये, सब के प्रति मैं आपके माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

(अनुवाद)

श्री नानी भट्टाचार्य (बरहामपुर) : महोदय, मैं भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। श्री राजीव गांधी की जघन्य हत्या के सम्बन्ध में मेरे सहयोगियों द्वारा व्यक्त दुख की भावना में मैं सम्मिलित हूं। आपने श्री राजीव गांधी के निधन सम्बन्धी उल्लेख

में जो बातें कही हैं, उनसे मैं पूर्वतया सहमत हूं। इसकी पुनरावृति करके मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। जब हम इस मृत्यु के शोक में डूबे हैं, मैं अपने दल की ओर से श्रीमती गांधी और उनके बच्चों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।

हमें अपने साथी श्री चिन्त महातो की मृत्यु पर भी शोक व्यक्त करते हैं। कल ही हम उन्हें यहां मिले थे और अचानक ही मस्तिष्क ज्वर से उनकी मृत्यु हो गई। श्री दिनेश गोस्वामी की मृत्यु पर भी हम शोक व्यक्त करते हैं जिनसे मेरे व्यक्तिगत तथा नज़दीक के सम्बन्ध थे।

इन शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर अपने इन साथियों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं।

श्री चित बसु (बारसाट) : महोदय, मैं भूतपूर्व प्रधान मंत्री तथा कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष श्री राजीव गांधी की क्रूर हत्या पर प्रधान मंत्री तथा अन्य सम्माननीय साथियों की तरह गहरा दुख एवं संवेदनाएं प्रकट करता हूं। भारत के दो प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी तथा श्री राजीव गांधी की हत्या से हमारी इस आशंका को बल मिला है कि सीमा पार से ताकतें देश की प्रगति और स्थायित्व विरोधी साम्राज्यवादी ताकतों से प्रेरणा ले कर हमारे देश को तोड़ने और उसे अस्थिर बनाने के लिए षड्यंत्र कर रही हैं। दुर्भाग्यवश, हमारी शंका के इस पहलू को श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के तुरन्त बाद भी उठाया गया था। हम यह आशा करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे इस षड्यंत्र का भंडाफोड़ किया जाएगा और लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जायेगी। परन्तु पिछली सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया। भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी की हत्या से इस विचार को भी बल मिलता है कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में कोई साँठ गाँठ है। और श्री राजीव गांधी इस षड्यंत्र का शिकार हुए। हमारे देश की स्थिरता तथा लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए भी यह अशुभ सूचक है। यह एक व्यक्ति की मृत्यु का प्रश्न नहीं बल्कि उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह हमारी संस्कृति, लोकतंत्र, एकता और अखण्डता पर गहरा प्रहार है।

महोदय, यह सच है कि श्री राजीव गांधी के साथ हमारे मतभेद थे जिन्होंने अपनी तथा अपने दल की नीति का अनुपालन किया। कुछ मुद्दों पर हमारे मतभेद थे। परन्तु मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये मतभेद किसी दुर्भावना से प्रेरित नहीं थे बल्कि ऐसे मतभेद थे जो राजनैतिक दलों में होते ही हैं। यह मतभेद श्रीमती इंदिरा गांधी या श्री राजीव गांधी के प्रति किसी दुर्भावना से प्रेरित नहीं थे। हमारे मतभेद हमारी विचारधारा के कारण थे।

देश के प्रधान मंत्री तथा देश के सबसे बड़े दल के अध्यक्ष के रूप में श्री राजीव गांधी एक लोकप्रिय नेता थे। उनका अपना एक दृष्टिकोण था, उनके अपने विचार तथा विचारधारा थी तथा अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी के बारे में उनके अपने विचार थे। कुछ मुद्दों पर हम में मतैक्य था। कुछ मुद्दों पर हम में मतभेद था परन्तु वे मतभेद किसी दुर्भावना से प्रेरित नहीं थे तथा ये मतभेद राजनैतिक कार्यकर्ताओं और राजनैतिक व्यक्तियों के आपसी मतभेद थे। महोदय, श्री राजीव गांधी की असमायिक अचानक दुखद मृत्यु से देश को गहरा धक्का लगा है। इस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। मैं अपने दल की ओर से श्री राजीव गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना अर्पित करता हूं।

महोदय, अपने एक प्रिय साथी कामरेड चित्त महातो के निधन से भी बहुत दुखी हुआ हूं। कामरेड चित्त महातो की मृत्यु इस महीने की 7 तारीख को हुई। वह छोटी आयु से ही मेरे दल की गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे थे। वह वर्षों से पश्चिम बंगाल के एक बहुत ही पिछड़े हुए क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कार्य कर रहे थे। वह एक युवा नेता थे। तथा एक युवा नेता के रूप में उन्होंने कई अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में हिस्सा लिया। और देश के युवा आन्दोलन में भी एक सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने देश के दलित लोगों, विशेष रूप से भूमिहर मजदूरों, गरीब किसानों तथा बटाईदारों के कल्याण के लिए अथक परिश्रम किया। उनके चुनाव क्षेत्र के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, जिसका प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि वह लगातार चार बार भारी बहुमत से इस सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए।

उनकी अचानक मृत्यु हमारे लिए असहनीय है क्योंकि हम उनके साथ एक दल तथा एक राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में लम्बे समय तक जुड़े रहे हैं।

इस समय मैं श्री दिनेश गोस्वामी की मृत्यु पर भी शोक व्यक्त करता हूं।

मैं श्री ईश्वर चौधरी की मृत्यु पर भी शोक व्यक्त करता हूं जो कि हिंसा की प्रवृत्ति का शिकार हुए। दी गई वरीयता सूची के अनुसार मैं अन्त में कामरेड डांगे की मृत्यु पर भी शोक व्यक्त करता हूं। कामरेड डांगे इस देश में साम्यवादी आन्दोलन के प्रवर्तक थे। वह एक महान व्यक्तित्व रखते थे तथा अपनी अमिट लेखनी के माध्यम से उन्होंने मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का प्रचार किया। अपने युवा काल में वह एक कुशल संगठनकर्ता थे।

आज जिन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जा रही है, मैं उन सबके शोक संतप्त परिवारों के प्रति भी अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।

2.00 म० प०

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ (पोन्नानी): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस वर्ष 21 मई को श्री राजीव गांधी की क्रूर, अमानवीय तथा नृशंस हत्या पर गहरा शोक और संवेदना व्यक्त करता हूं। 21 मई, 1991 के दिन को मैं स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे काला दिन मानता हूं क्योंकि इस दिन भारत के एक महान सपूत की हत्या हुई जिसके कारण सारे देश को एक अभूतपूर्व हानि उठानी पड़ी। वह इस देश रूपी बगिया के सबसे अधिक महकते फूल थे। वह एक पूर्ण विकसित फल की अरुणिमा थे।

जैसा कि कहा गया है :

बागवाने गुलशने हस्ती ये क्या किया,
जाने चमन था गुल जो, वही तूने चुन लिया।

मैं श्री राजीव की हत्या और उनकी कमी को इन्हीं शब्दों में व्यक्त करना चाहता हूं। मैं यह पूछना चाहूंगा कि श्री राजीव गांधी का क्या कसूर था जो उनकी ऐसी नृशंस हत्या की गई। क्या उनका दोष यह था कि वह देश की एकता और अखण्डता की रक्षा करना चाहते थे। वह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की रक्षा करना चाहते थे तथा उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या उन

विघटनकारी शक्तियों ने की जो इस देश को अस्थिर करना चाहती हैं। यह एक बहुत गहरी साजिश थी। सरकार को इस अवसर पर सतर्क रहना होगा और इन विघटनकारी तत्वों से सख्ती से निपटना होगा ताकि हम शान्ति से रह सकें।

श्री राजीव गांधी अल्पसंख्यकों के मित्र थे। वे उनकी समस्याओं को समझते थे तथा वे हमारी समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखते थे। मैं यह कह सकता हूं कि 1991 के राजीव गांधी 1984 के राजीव गांधी से भिन्न थे। अनुभव के द्वारा उनमें परिपक्वता आई तथा उन्होंने पिछड़े और अल्प संख्यकों की समस्याओं को समझने की क्षमता आई।

हमारे प्रधान मंत्री यहां उपस्थित हैं। मुझे याद है कि अप्रैल के महीने में मैंने अपने साथी श्री बनातवाला के साथ श्री राजीव गांधी से एक लम्बी चर्चा की जिसके दौरान हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव उपस्थित थे। वह कितने हंसमुख, निडर और मृदुस्वभाव के स्वामी थे तथा उन्हें हमारी समस्याओं की कितनी समझ थी, उसे मैं कभी नही भुला सकता। उनका हंसता हुआ चेहरा, शालीनता, व्यवहार तथा विचार सभी उनके व्यक्तित्व को चार चांद लगाते थे। उन्होंने जो आश्वासन दिए, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में उनका उल्लेख है। आशा है प्रधान मंत्री उन आश्वासनों को पूरा करेंगे।

श्री राजीव गांधी से केवल इस देश की जनता का ही प्रेम नहीं अपितु समस्त विश्व को उनसे प्रेम था। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो विश्व शांति के लिए लड़े, इसलिए यह सारे विश्व के लिए एक धक्का है। जैसा अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि उनकी अंत्येष्टि में 66 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यह उस व्यक्ति की महानता का प्रतीक है। वह एक महान व्यक्ति तथा महान व्यक्तित्व थे जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। उनकी मृत्यु से हुई कमी को पूरा नही किया जा सकता। यह एक न भर सकने वाली हानि है। यह कहा जा सकता है।

"मत सहली से जानों, फिरता है फ़लक बरसों,
तब ख़ाक के परदे से, इन्सान निकलता है।"
ऐसा इन्सान था जो बरसों बाद निकला था।

हम ऐसे व्यक्ति तथा ऐसे व्यक्तित्व को सदियों तक नहीं भुला सकते। हमें उनके द्वारा स्थापित मूल्यों के प्रति सम्मर्पित होना चाहिए। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना।

मैं इस सारे राष्ट्र के समक्ष, इस सदन के समक्ष तथा कांग्रेस पार्टी के समक्ष, जिसके वह अध्यक्ष थे, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ-साथ मैं श्रीमती सोनिया गांधी के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने एक महान पति को खोया है, प्रियंका तथा राहुल के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होने अपने प्रिय पिता को खोया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको इस सदमे को सहने की शक्ति दे। इन शब्दों के साथ मैं इस महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी (सिक्किम): अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के महान् साहसिक तथा युवा सपूत स्वर्गीय श्री राजीव गांधी, जिनको काल के क्रूर ग्रास ने हमसे बड़ी क्रूरता तथा निर्ममता से बहुत ही असाधारण ढंग से छीन लिया है, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये खड़ी हुई हूं। श्री राजीव गांधी हमारे एक भूतपूर्व प्रधान मंत्री ही नहीं थे बल्कि भारतवर्ष के युवाओं के लिये आदर्श

पुरुष थे। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उन्हें शांति का दूत समझा जाता था। देश-विदेश में ऐसी कोई जगह नहीं रह गयी होगी जहां इस हादसे और निर्मम हत्या की खबर से लोग स्तब्ध न रह गए हों। इससे हम राजीव गांधी की लो प्रियता का अनुमान लगा सकते हैं। उनकी कायरतापूर्ण हत्या की जितने भी कड़े शब्दों में भर्त्सना की जाए, वह कम है। श्री राजीव गांधी के असामयिक निधन से जो असीम पीड़ा तथा क्षति की अनुभूति सारे देशवासियों को हुई है वह बहुत ही स्वाभाविक है।

अध्यक्ष जी, आपके उद्‌गार से मैं भी सहमत हूं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी, सिक्किम संग्राम परिषद् की तरफ से भारत के इस महान सपूत को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और आपके माध्यम से शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहूंगी। जितने भी भूतपूर्व सम्माननीय सदस्यों के नाम इस सूची में हैं उनके प्रति भी मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और शोक संतप्त परिवारों को आपके माध्यम से हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूं। धन्यवाद।

डा० जयन्त रंगपी (स्वशासी जिला): अध्यक्ष महोदय, श्री राजीव गांधी के दुःखद निधन पर इस सभा में मेरे वरिष्ठ साथियों द्वारा जो दुःख अभिव्यक्त किया गया है उसमें मैं पूरी तरह शरीक हूं।

श्री राजीव गांधी के सम्पर्क में मैं पहली बार तब आया जब मैं असम के दूर-दराज के क्षेत्रों तथा दो पर्वतीय जिलो के एक शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहा था। हम यहां आये और बहुत से केन्द्रीय मंत्रियों से मिलने का प्रयास किया लेकिन हम उन से मिल नहीं सके। हमने पूरा एक महीना इन्तजार किया। उस समय हमारे पास धन भी नहीं था। यहां तक कि हमें कुछ रुपये बचाने के लिए एक समय का खाना भी छोड़ना पड़ा जिससे हम यहां रह सकें और केन्द्रीय मंत्रियों से मिल सकें। आश्चर्य की बात है कि इसी समय प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी ने हमें मिलने का समय दिया। हम उनसे मिले, उन्होंने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना। हमने उनमें इतना अपनापन पाया कि मतभेद होने के बावजूद एक सद्‌भावना का वातावरण बन गया। अपनी पार्टी की ओर से मैं कहूंगा कि उनके इस व्यवहार में पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक बड़े वर्ग में सद्‌भावना पैदा कर दी।

इस निधन संबंधी उल्लेख के अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बाहरी एजेन्सियां षड्‌यन्त्रकारी हो सकती हैं लेकिन हम यह भी महसूस करते हैं कि यह उचित समय है हमें इस समय अपनी नीतियों में जो कमियां हैं, जो ऐसी स्थिति पैदा कर रही हैं जिनसे बाहरी ताकतें सिर उठा रही हैं, उनका पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय मेरे विचार से हम सब को अपनी नीति और राजनीति में विद्यमान कमियों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए।

मैं श्री राजीव गांधी के शोक संतप्त परिवार के प्रति तथा कामरेड डांगे और कामरेड महातो के शोक संतप्त परिवार के प्रति और पूर्व सहयोगियों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री अशोकराव आनंदराव देशमुख (परभनी) : अध्यक्ष महोदय, आप ने बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं शिव सेना पार्टी की ओर से बोल रहा हूं। जो हत्या हुई, उसके लिए गहरा दुख सभी पार्टी के लोगों को है। हमारे जो छत्रपति थे और उनके बेटे सांभा जी महाराज थे तो मैं बहुत कम बार जिन्दगी में रोया हूं। चार बार रोया हूं पहले माता के निधन पर रोया हूं। उसके बाद इतिहास पढ़ा पहले सांभा जी महाराज का और उन की हत्या का जो विवरण पढ़ा तो उस पर रोया हूं। तीसरी बार अत्याचार पर रोया हूं और चौथा, हमारे राजीव भैया दुर्घटना में चले गए, उस वक्त मैं किसी भी पार्टी का हूं तो उस वक्त मुझे निश्चित रूप से रोना आया। मैं उनके प्रति आदर और सद्भाव रखता हूं। जब हम संसद में आए तो उनको सुना और हमारे राजा जी को सुना। दोनों की जुगलबंदी को भी सुना। बड़ी अच्छी जुगलबंदी चलती थी। इंदरा जी की हत्या के बाद वे राजनीति में आए। राजनीति में सात साल रहे तो भगवान ने उनको उठा लिया। इसका हमें बहुत ही दुख हुआ है। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक और महिलाएं ज्यादा दुखी हुईं। मैं यह कहना चाहूंगा कि पशु-पक्षी सभी दुखी हुए। राजीव जी की हत्या के बाद ऐसी हत्या भविष्य में किसी की भी न हो, दुश्मन की भी न हो। ऐसी हत्या हुई कि बर्बरतापूर्वक राजीव जी मारे गए। उनके लिए मां भवानी को प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जब हम उनका चेहरा देखते थे तो राजीव जी का हंसता हुआ चेहरा अभी भी संसद में नजर आता है। हमेशा ही हंसते रहते थे। वे शांतिशील, दयाशील, उदारशील, कर्मयोगी और दानयोगी थे। संसद में सभी दल हैं और कोई भी पार्टी रह सकती है, कोई भी राजा हो सकता है। सामाजिक कार्य करते समय कोई भी राजा हो तो कठोर निर्णय लेना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं कि उसकी हत्या इस तरह से हो। जो भारत रत्न दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। कई नेता पार्लियामेंट में हैं जैसे —

श्री आडवाणी जी, श्री अटल जी, राजा जी, श्री शरद पवार जी और श्री उन्नीकृष्णन जी, श्री सोमनाथ जी, श्री नानी भट्टाचार्य जी, श्री सुलेमान सेट जी हैं। किसी भी दल के नेता हैं तो ऐसी हत्या इसके आगे नहीं होनी चाहिए। जो ऐसी ताकतें हैं तो जो सरकार आई है वह निश्चित रूप से सजा देगी। राजीव जी के आशीर्वाद से आप सब लोग आए हैं। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से उनके वादों को पूरा करेंगे। मैं शिव सेना पार्टी की ओर से जो राजीव जी का परिवार है, श्रीमती सोनियां गांधी, प्रियंका और राहुल, उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री फ्रेंक एन्थनी (नामनिर्देशित–आंग्ल–भारतीय) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूं। मैं लम्बा भाषण दे सकता था लेकिन मेरा ऐसा इरादा नहीं है।

मैंने एक राजनीतिज्ञ एवं विधिवेत्ता के रूप में एक लम्बा जीवन व्यतीत किया है। मैं नेहरू परिवार से भली प्रकार परिचित हूं। श्री जवाहर लाल नेहरू के समय जब उन्होंने मुझे 34 वर्ष की आयु में संयुक्त राष्ट्र के प्रथम शिष्टमण्डल का एक सदस्य चुना था। मैं श्री राजीव गांधी से भली प्रकार परिचित था। मैं उस परिवार के प्रत्येक सदस्य को भली प्रकार जानता हूं उनमें नेहरू परिवार के कई प्रमुख गुण थे। वह एक भद्र पुरुष थे। उन्होंने दून स्कूल से शिक्षा ग्रहण की, वह स्कूल जिस बोर्ड से

सम्बंधित था उसका मैं प्रारम्भ से ही अध्यक्ष रहा। इसी कारण उनमें एक सत पुरुष की बहुत सी विशेषताएं आ गई थी। मैं जवाहर लाल नेहरू मैमोरियल फण्ड का न्यासी रहा हूं। श्री राजीव इसके अध्यक्ष थे। अब उनकी विधवा पत्नी इस मैमोरियल फण्ड की अध्यक्षा हैं।

मेरे विचार से श्रीमती सोनिया के बारे में काफी कुछ नहीं कहा है। अमेठी अभियान के दौरान मुझे उनकी जिस बात ने प्रभावित किया उन्होंने इस अभियान में हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि वह जीवन संघर्ष में उनकी सहयोगिनी थी। मैंने उन्हें श्री राजीव गांधी की हत्या से एक दिन पहले तार भेजी थी जिस पर दोनों को सम्बोधित किया था। मैंने लिखा था "राष्ट्र को बचाने में भगवान आपकी सहायता करे"। वे राष्ट्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। पिछले पन्द्रह महीनों की अवधि के दौरान जिस प्रकार की अराजकता, अलगाववाद और आतंकवाद का बोलबाला रहा है ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया जिसका वर्तमान प्रधानमंत्री को सामना करना पड़ रहा है। सही मायनों में भारत एक देश के रूप में नहीं, यह एक उप महाद्वीप है। जब मैंने अंग्रेजी भाषा को आठवी अनुसूची में रखने का संकल्प प्रस्तुत किया था और कानूनी ज्ञान के कारण मैंने दलील दी थी कि यह बिल्कुल गलत है कि ये चौदह भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं और कुछ नहीं है। मुझे एक महीना बम्बई जाना पड़ा और मैंने मामले को खत्म करवाया। जिसको तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री देसाई ने शुरू किया था। वह अंग्रेजी भाषा को समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि केवल आंग्ल भारतीय अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन करेंगे क्योंकि पारसियों की तरह वे भी अल्पसंख्यक थे। जब कि वे स्कूल पांच स्कूलों से ज्यादा नहीं थे लेकिन मैं 600 से भी अधिक स्कूलों की संस्था का अध्यक्ष था। अतः मैं बम्बई गया और मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामला रखा। उन्होंने मामला बम्बई शिक्षा सोसाइटी को सौंप दिया। उन्होंने कहा "आठवीं सूची की अधिकतर भाषाओं में अंग्रेजी अधिक भारतीय भाषा है क्योंकि यह एक संवैधानिक भाषा है, यह उच्चतम न्यायालय की भाषा है। तीन सौं वर्षों से यह भाषा भारत में भली प्रकार समा गई है"। मैंने इस लड़ाई को लड़ा था। मैं दक्षिण गया। दक्षिण में लाखों लोगों में अतिराष्ट्रीयता की लहर आ गई थी। जिस सभा को मैंने सम्बोधित किया उसमें राजा जी आये और राजा जी ने कहा "अंग्रेजी भाषा भारत के लिए सरस्वती का उपहार है। यह भाषा होनी चाहिए"। मैंने जवाहर लाल नेहरू से इस भाषा को आठवी अनुसूची में रखने के लिए कहा था। उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि अंग्रेजी भाषा दक्षिण और गैर-हिन्दी भाषियों के लिए एक वैकल्पिक भाषा रहेगी जैसा कि गैर हिन्दी भाषी लोगों की इच्छा है। उन्होंने ऐसा किया और आज स्थिति यही है।

लेकिन, मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक सोनिया का सम्बंध है, उन्होने लगातार श्री राजीव गांधी को समर्थन दिया। मेरा 2-½ वर्षों तक इन्दिरा जी का साथ रहा। मैं नियमित रूप से उनके पास जाया करता था। वह मेरी बीमार पत्नी को देखने हस्पताल आया करती थी। जब वह मेरी पत्नी के पास आती थी तब मेरी पत्नी ने उनसे पूछा "क्या आप को यूरोप की पुत्रवधू के साथ कोई कठिनाई हुई है"। उन्होंने कहा कि कोई भी हिन्दु मां को इससे अच्छी पुत्रवधू नहीं मिल सकती और किसी हिन्दू पति को सोनिया से अच्छी पत्नी नहीं मिल सकती। उन्होंने सोनिया का पक्ष लिया।

महोदय, जब श्री संजय गांधी की मृत्यु हुई तब क्या हुआ था, इन्दिरा गांधी भावुक नहीं हुई थी। लेकिन उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि उनका वरुण से काफी लगाव था और मुझे याद है कि

उन्होंने मेरी पत्नी को बताया कि वह वरुण से भी संजय जितना ही प्यार करती हैं। और वरुण वहां नियमित रूप से आता था लेकिन उसे वहां आने से रोका जाता था। जो कुछ मैं कहना चाहता हूं कि वे अपना जीवन मुक्त रूप से व्यतीत करते थे। इन्दिरा गांधी जी ने राजीव गांधी को कांग्रेस पार्टी का महा सचिव बनाया। उनकी जघन्य हत्या के बाद श्री राजीव गांधी स्वतः ही कांग्रेस पार्टी के नेता बन गये और उन्होंने इसका ऐसा नेतृत्व किया जसा अन्य कोई नहीं कर सकता था। उनका राजनीति में इतना रुझान नहीं था लेकिन अपनी माता की जघन्य हत्या के बाद उन्होंने अपने आप को कांग्रेस पार्टी के कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित कर दिया। मुझे याद है इन्दिरा जी मुझे बताती थी कि वह चुनाव अभियान के दौरान प्रतिदिन 22 घंटे कार्य करती थी राजीव जी ने ठीक वैसा ही किया।

यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि अगस्त 1989 में श्री राजीव गांधी ने मुझे इस देश के पांच प्रमुख वरिष्ठ अधिवक्ताओं में रख कर सम्मान दिया था और मुझे एक सुन्दर चांदी की तश्तरी भेंट की थी जिसमें मेरे योगदान का उल्लेख किया गया था, हालांकि मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं था। वास्तव में यह उन्होंने धर्म निरपेक्षता का सम्मान किया था और अब मैं आपके समक्ष इन्हीं शब्दों में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि वे धर्मनिरपेक्षता युक्त लोकतन्त्र के प्रति समर्पित थे।

श्री श्रवण कुमार पटेल : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की उच्चतम प्रजातान्त्रिक संस्था, लोक सभा, में अपने प्रथम भाषण में भारी हृदय के साथ अपने देश के एक ऐसे महान नेता को श्रद्धांजलि आर्पित करता हूं जिसे भाग्य के निर्दयी हाथों ने हमसे उस वक्त छीन लिया जब कि वह अपने जीवन के श्रेष्ठतम शिखर पर थे। मैं उर्दू में एक शेर कहूंगा :

"ये बात तो खैर मुसल्लम है,
जो फूल खिलेगा सूखेगा।
जो फूल अभी मुरझाया है,
तादेर न गुलशन भूलेगा"।

महोदय, हम श्री राजीव गांधी की आकस्मिक मृत्यु पर दुखी है। उन्होंने देश के करोड़ों देश-वासियों की सेवा की। प्रधान मंत्री के रूप में श्री राजीव गांधी ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों में आपसी शत्रुता को समाप्त करके उस समय शांति स्थापित की जब चारों ओर भारी हलचल थी। उनकी माता, प्रधान मंत्री स्वर्गीया श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की असमय हत्या से पूरे देश में हिंसा की लहर फैल गई थी और अपने व्यक्तिगत दुख को भूलकर, उन्होंने इस ओर ध्यान दिया और कुछ ही समय में शान्ति स्थापित की। इससे देश के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा का और दुर्घटनाओं के धक्कों को लगभग पूर्ण उदासीनता के साथ सहने की क्षमता का पता चलता है। इस प्रकार उन्होंने देश और इसके लोगों को यह सिद्ध कर दिया कि समय आने पर वे हर स्थिति का सामना कर सकते है। प्रधान मन्त्री के रूप में, उन्होंने देश के उन क्षेत्रों में शान्ति स्थापित की जहां पर भारी हलचल थी। भ्रष्टाचार को कम करने के लिये उन्होंने 52 वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कराया और संसद सदस्यों को सम्मान दिया। उन्होंने निर्धन वर्ग और दलितों की कठिनाईयों को दूर करने के लिये कई योजनायें और कार्यक्रम आरम्भ किये। यह वह सब से अधिक महत्वपूर्ण कार्य था जो उन्होंने सदा किया।

उनकी आर्थिक नीतियों का लक्ष्य भारत को आत्म निर्भर बनाना था। उन्होंने बहुत अच्छे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित किये और अपने नानाजी पंडित जवाहर लाल नेहरू के समान इस विश्व को रहने का एक बेहतर स्थान बनाने के लिये भरसक प्रयास किया। परमाणु निशस्त्रीकरण के अग्रदूत के रूप में उन्होंने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये कई गोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन किया। उन्होंने जनता के हाथ में शक्ति देने का नारा दिया और पंचायती राज आन्दोलन को एक नया आयाम प्रदान करने का प्रयास किया।

पंडित नेहरू के समान, वे पक्के धर्मनिरपेक्ष थे और उन्होंने भारत में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा की।

अन्त में, मैं उनके शोक संतप्त परिवार विशेषकर श्रीमती सोनिया जी, राहुल और प्रियंका के प्रति अपनी गहन संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं अपने भाषण की मशहूर कवि श्री आस्कर वाईल्ड द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगा।

"किसी से मुलाकात होना, उसे जानना
और उसे प्यार करना और
फिर उसे विदा हो जाना यह
बहुत से लोगों की दुख भरी कहानी है।"

महोदय, मुझे यह अवसर देने का बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): स्पीकर साहब, इन्सान का पैदा होना खुद उसकी मौत की दलील है लेकिन जो लोग पैदायश और मौत के दरम्यानी वकफे में कुछ काम कर गुजर जाते हैं, उनकी याद हमेशा दिलों में रहती है। राजीव गांधी ने जो काम किये वे दिल ही में नहीं बल्कि तारीख के सफायत के ऊपर हमेशा बाकी रहेंगे और जिस तरीके से उस खानदान ने सैक्यूलरिज्म और अपने उसूलों के लिये अपनी जान दी और हिन्दुस्तान की तारीख में उसूलों के ऊपर कुरबान करने वालों में अपना नाम लिखाया, मैं ज्यादा तकरीर नहीं करना चाहूंगा लेकिन यह बात हमेशा याद रहेगी इस हिन्दुस्तान में कि राजीव गांधी ने जो खिदमात अंजाम दीं और मुल्क के लिये जो उन्होंने काम किया और फिर वे उन ताकतों से लड़ते रहे जो मुल्क को तबाह करना चाहती थीं, इसी में उन्होंने अपनी जान को कुरबान किया और खसूसन इस खानदान ने सैक्यूलरिज्म की हिफाजत और अकलियतों के लिये जो काम किया, हमेशा लड़ते रहे, वह हमेशा यादगार रहेगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा :–

जाने वाले कभी नहीं आते,
जाने वाले की याद आती है।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईला दुतुरी) : अध्यक्ष महोदय, जितना मैं पिछले 6 वर्षों से श्री राजीव गांधी को जानता हूं, उन्होंने मौत के साये में काम किया और मैंने उनके साये में काम किया। अब, मौत ने उन्हें हमसे छीन लिया है और मैं केवल उनके साये में ही हूं। जितना मुझे याद है उन्होंने जिस निर्णय को सही समझा उसे पूरा करने में कभी मौत के भय को रास्ते में नहीं आने दिया। उनके

अनुसार अपने आपको पूर्ण रूप से सन्तुष्ट करना प्रत्येक मनुष्य का कर्त्तव्य है और यदि ऐसा करने में कोई खतरा हो, तो उसका सामना करना चाहिए न कि उससे भागना चाहिए। एक बहादुर इन्सान होने के साथ-साथ वह एक दयालु व्यक्ति थे। मनुष्यों के लिए उन के मन में गहरा प्रेम था। शोषित और दलित व्यक्तियों के लिए उनके मन में एक विशेष स्थान था। वे हमारे लोकतंत्र में गहरी आस्था रखते थे, उनके अनुसार आजकल लोकतन्त्र असफल हो रहे हैं क्योंकि यह व्यवस्था बिना किसी सुदृढ़ नींव के है और उन्होंने हमारे लोकतन्त्र के लिए उस सुदृढ़ नींव की स्थापना करने के लिए बहुत मेहनत की। उनकी हमारे समाजवाद में गहरी आस्था थी, शायद यह जानी-मानी पुस्तकों वाला समाजवाद नहीं है, अपितु एक ऐसा समाजवाद जो आम आदमी के प्रति दया से भरपूर था और जिस में गरीब और सर्वहारा की उन्नति लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जानकारी को प्रयोग करने में विश्वास था।

धर्मनिरपेक्षता में उनका गहरा विश्वास था और भारत में जो कुछ भी महान है वह उनकी धर्म निरपेक्षता में समाहित था। और भारत में उन्हें केवल राजनैतिक सत्ता, जिसे हम भारत संघ कहते हैं, ही महान नहीं लगी अपितु एक विचार, भिन्नता में एकता की महानता है। उन्हें भारत के विभिन्न फलों, भारत की सभी विभिन्न भाषाओं, भारत की सभी सस्कृतियों, भारत के विभिन्न धर्मों और इस देश में विभिन्न प्रकार के विचारों पर गौरव था। यही वह भिन्नता में एकता थी, यही वह विश्वास था कि जब तक भारत का हर हिस्सा, चाहे वह आकार में कितना भी छोटा क्यों न हो, इस देश का एक अभिन्न हिस्सा नहीं बन जाता, भारत, भारत नहीं कहला सकता। वह यह मानते थे कि यह अत्यावश्यक है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक, धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक समुदाय और विभिन्न विचार धाराओं के लोग इस देश के अभिन्न अंग हों।

उस समय जब भाग्य ने उनके नाम मौत का परवाना जारी कर दिया था, उन्होंने देखा कि महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू का सपना इस अर्थ में साकार हो रहा था कि दो बड़ी शक्तियों में परस्पर सूझबूझ पैदा हो गई थी और वे वार्तालाप के लिए तैयार हो गई है। किन्तु किसी अन्य भारतीय ने इस बात की महत्ता को इतना नहीं समझा जितना उन्होंने कि तनाव की कमी के इस समय के दौरान गुट-निरपेक्षता की अधिक आवश्यकता है, इतनी पहले कभी नहीं रही क्योंकि गुट-निरपेक्षता का मुख्य कार्य वर्चस्व की खोज को समाप्त करना है और यह वर्चस्व केवल इसीलिए समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि दोनों बड़ी शक्तियों में वैमनस्य शिथिलता है। जब उन्होंने भारत की दृष्टि में इन सबको इकट्ठा कर लिया तो यह एक साकल्यवाद सम्बन्धी विज़न है जिसने केवल यह नहीं देखा कि आज के विश्व में भारत का क्या स्थान है अपितु यह चाहा कि विश्व सभ्यता के इतिहास में भारत का स्थान क्या था, और जब हम समय के आरम्भ में, आठ हज़ार, नौ हज़ार या 10 हज़ार वर्ष पहले देखते हैं जब हमारे गृह पर मानव सभ्यता पहले आई थी तो उन्होंने पाया कि भारत की सभ्यता विश्व में शायद सबसे पुरानी नहीं है और न शायद अकेली ऐसी सभ्यता है जो लगातार चलती रही, यह अवश्य ही विश्व में ऐसी अकेली सभ्यता है जिसने विभिन्न जातियों के साथ रहना सीखा है और यदि विश्व को बने रहना है तो यह आवश्यक है कि वह भारतीय सभ्यता से उन मूल्यों का समावेश करे जिसमें अनेकता के साथ रहने की क्षमता है, अनेकता को सहन करने की क्षमता है, और सबसे अधिक, उसमें अनेकता का उत्सव मनाने की क्षमता है और यदि हम भारत के उस

स्वरूप को पा लें तो, तो यह श्री राजीव गांधी का शरीर होगा जिसकी मृत्यु हुई है, श्री राजीव गांधी की आत्मा, जो भारत की आत्मा थी, वह भारत की आत्मा जिसने मानव सभ्यता को इस गृह पर हर जगह ऊंचा उठाया है वह सदा जीवित रहेगी ।

मुझे उनके साथ बौद्धिक स्तर पर किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक बातचीत करने का सम्मान मिला है । हम घटों उनके भाषणों, लेखों, आदि पर चर्चा करते थे । इस दौरान मुझे एक ऐसे इन्सान को देखने का मौका मिला जिसे सीधे महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरणा, विशेषकर अहिंसा के प्रति समर्पण की भावना मिली । उनके विचार बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू के विचारों के समान थे और भारत की आध्यात्मिक विरासत में गौरव महसूस करना उन्हें सीधे स्वामी विवेकानन्द से मिला, । वह महान आत्मा अब हमारे बीच नहीं है, वे चले गए हैं । उनकी ओर से जो मुझे अन्तिम उपहार मिला वह यह स्थान है जिस पर अब मैं बैठता हूं । मैं इस स्थान पर उसी तरह बैठता हूं जिस प्रकार श्रीराम के वनवास होने पर भरत उनके स्थान पर बैठे थे । किन्तु हम जानते हैं कि राम केवल 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे । मैं इस स्थान पर यह जानते हुए बैठा हूं कि श्री राजीव गांधी उस वनवास से वापस नहीं आएंगे जिसमें आतंकवाद और हिंसा भर गई है ।

कृषि मंत्री—श्री बलराम जाखड़ : माननीय अध्यक्ष जी, एक शेर है :

तारीख ने देखी हैं चन्द ऐसी भी घड़ियां,
लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई ।

और यही बात राजीव जी के निधन से सामने आती है । इंसान चला जाता है, हरेक को जाना भी है, लेकिन उसके आदर्श, उसके काम और उसने जो काम करके पाया, वह बाकी रह जाता है ।

21 तारीख की वह रात थी, अगर दिन भी होता तो अंधेरा छा जाता, एक ऐसा अंधकार छाया जिसने मानवता को ढक लिया क्योंकि राजीव मानवता के प्रतीक थे, सहृदयता के प्रतीक थे, सहिष्णुता के प्रतीक थे । वे प्रतीक थे प्रेम और सदाचार के और ऐसे देश प्रेमी थे जिनके मुताल्लिक कहा जा सकता है कि वे देश प्रेमी ही नहीं थे, निर्भीक भी थे । ऐसे व्यक्ति थे जो अपने आदर्शों के लिए लड़ सकते थे, जी सकते थे । वे जिए और अपने प्राणों की भी आहुति देने में कोई कसर नहीं रखी । वे एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते थे जिनके त्याग का एक इतिहास है ।

मोतीलाल जी, जवाहर जी, कमला जी, इंदिरा जी और अब राजीव जी, उस एक लड़ी में पिरोए हुए वे इंसान थे जैसा अपनों से देखा वैसा औरों को दिया । उनके दिल में ऐसा प्यार था जो सब में बांटा करते थे । सिर्फ यही नहीं था, उनके मुख में एक ऐसी मुस्कान थी कि जहां आप बैठे हैं श्रीमन्, मैं वहां बैठा करता था । जब वे इधर से आया करते थे तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती थी । वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में सजी हुई है । मैं देखता था कि जिस प्रकार से हाऊस में एक रोशनी छा जाती है वैसे वे इंसान थे । जो उससे एक बार मिल लेता था वह उसका हो जाता था, कभी भूलता नहीं था । विचारों के आदान-प्रदान में टकराव हो सकता था लेकिन

आत्मा में टकराव कभी नहीं होने दिया उन्होंने । उनके मन में एक प्रजातांत्रिक दिल था जो सब को साथ लेकर चलना चाहता था, वे देश के लिए जीना चाहते थे, वे इस ब्रह्मांड के लिए जीना चाहते थे क्योंकि कभी-कभी जब बात होती थी तो वे एक बात कहा करते थे कि हमारी संस्कृति यह कहती है, हम यह कहते हैं और हम इस पर विश्वास करते हैं :

उदार चरितानाम् तु वसुधैव कुटुम्बकम् ।

उदार चरित्र आदमी जो होता है, जिसका दिल बड़ा होता है उसके लिए सारा संसार एक होता है । यही नहीं, वे इससे आगे जाकर कहा करते थे :

यत्र विश्वैयक नीड़म् ।

जहां संसार सिर्फ एक घोंसला बनकर रह जाता है, इंसान सिर्फ इंसान नहीं रहता । वे उस चीज में विश्वास रखा करते थे । उनके दिल में इसरार की भावना नहीं थी सेवा की भावना थी । बहुत दफा बात होती थी, मैं यह कहता था कि आप इस तरीके से करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है तो वे एक बात कहा करते थे कि बलराम जी, देश बड़ा है, राज बड़ा नहीं है, कुर्सी बड़ी नहीं है स्वार्थ बड़ा नहीं है और देश के लिए कुछ भी कुर्बान किया जा सकता है । पंजाब का मसला हुआ । मुझे पता था राज जाएगा, चला गया । आसाम ऐकार्ड हुआ । मुझे पता था राज जाएगा, चला गया । मिजोरम के समय में पता लगा राज जाना है, चला गया । लेकिन उनके दिल में कभी शिकन नहीं आई । वे कहा करते थे कि आपने रामायण पढ़ी है, आपने सारी रामायण देखी है, उसमें आपने क्या देखा । बाप वचन के लिए चला गया, बेटे ने बाप के लिए चौदह वर्ष का त्याग कर दिया, भाई ने त्याग कर दिया उस राज का जो उसको थाली में रखकर दिया गया था, दूसरे भाई ने चौदह वर्ष का बनवास इसलिए ले लिया कि वो भाई से प्रेम करता था, वे त्याग की मूर्ति थे । त्याग एक चीज है लेकिन आज ऐसा लगता है कि त्याग की भावना ही मर चुकी है । यदि त्यागमय भावना रहती तो देश पनप सकता था । आज भी अगर आदर्शों के साथ जिया जाए तो राजीव जी ने जो दिखाया है वह हमारे लिए एक दृष्टांत है । मैं ऐसे नहीं कहता, मैंने नजदीक से देखा है । सिर्फ यही नहीं कि मैंने सिर्फ भारत में देखा है क्योंकि जब मैं आपकी जगह था तो बाहर जाया करता था । हमारे साथ मेरे साथी जाया करते थे । हम जब बाहर जाते थे तो हमें पता लगता था कि देश की आभा क्या है, प्रतिभा क्या है, देश का स्वाभिमान और सम्मान क्या है, उसमें कहां-कहां हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, जो लोगों से बात करते हुए पता लगता था । वे देखते थे कि हां कोई देश का नेता है, देश का कोई स्वाभिमानी नेता है जिसने देश को ऊंचा उठाने की कसम खा रखी है । मैं जानता था कि रात के समय में भी उनको दो बज जाते थे । मुझे पता नही वह इंसान सोता कब था, जागता कब था, शायद चौबीस घंटे नहीं उसका पच्चीस घंटे का दिन हुआ करता था । इस प्रकार से वे ऐसे स्वाभिमानी और देशप्रेमी आदमी थे जो निष्काम कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहते थे । इतना ही नहीं, उनके हृदय में सबके लिए प्रेम था, वह देश को इक्कीसवीं शताब्दी में ले जाना चाहते थे । वह आदमी बीसवीं सदी का नहीं था वह इक्कीसवीं सदी का था, उसके दिल में खुलूस और मुरव्वत थी । जैसे किसी ने कहा है कि दिल में खुलूस और आंखों में मुरव्वत न रहे तो इंसान

से इंसान का रिश्ता क्या है। उसके दिल में इकरार था, खुलूस था, मोहब्बत थी, मुरव्वत थी, उस दिल में एक प्यार और तमन्ना थी। वे बहती गंगा थे जिसमें हर आदमी नहाकर एक पुण्य की प्राप्ति करता था कि इंसानियत किस चीज को कहते हैं और किस प्रकार एक इंसान को होना चाहिए। ऐसे थे राजीव गांधी। हमारी पार्टियां हो सकती हैं, हमारे सपने हो सकते हैं लेकिन वे विपक्ष को कभी विरोधी पार्टी नहीं मानते थे, वे विपक्ष को विपक्ष मानते थे, उसमें सिर्फ विचारों के टकराव की बात होती थी। वे प्रजातांत्रिक तौर पर बिल्कुल समझते थे कि प्रजातन्त्र एक ऐसी निशानी है, एक ऐसी हमारी धरोहर है जिसको हमें कायम रखना है। उसके दिल और दिमाग में एक बात थी कि हमारे जो योद्धा हुए हैं, जो बलिदानी हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की है, यह आजादी उनकी दी हुई अमानत है और यह प्रजातन्त्र उनकी अमानत है जिसको कायम रखना है, जिसको आगे बढ़ाना हमारा धर्म है और उस धर्म को लेकर आगे बढ़ना है। इसी तरीके से मैं जानता हूं राजीव गांधी को जिसका सिला कभी पूरा नहीं हो सकता।

हजारों बरस अपनी बेनूरी पे रोती है
चमन में पैदा होता है दीदावर कोई।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : अध्यक्ष महोदय,

हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।

श्री बलराम जाखड़ : सही बात है।

बुजुर्ग आदमी हैं, कभी-कभी भूल जायें तो ठीक कर देते हैं। मैं ठीक कहता हूं कि वह चमन में दीदावर बड़ी मुश्किल से पैदा हुआ था। इस बात को देखा है कि लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी बातें रह जाती हैं। राजीव गांधी जी को याद करने वाले दोस्त उन्हें हर जगह याद करते हैं चाहे वे किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हों। लोग किसी तरीके से कह कर बंद करते हैं, लेकिन उस दिन जब राजीव गांधी जी नहीं रहे तो चूल्हा नहीं जला, आदमियों के दिल बुझ गये चाहे वे किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हों। उनके दिल में एक चीज थी कि एक इन्सान चला गया, एक आदमी चला गया, हमारा चला गया, अपना चला गया, एक देश प्रेमी और देश का एक उज्जवल सितारा चला गया जिस का मुकाबला मुश्किल से कभी हो पायेगा।

श्री अर्जुन सिंह—मानव संसाधन विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वेदना और प्यार के इन सुरों में माननीय प्रधान मंत्री जी ने, आपने और इस सदन के अन्य सम्मानित सदस्यों ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, मैं भी अपने को उन भावनाओं से जोड़ना चाहता हूं और इन भावनाओं का सम्मान करता हूं। यह अवसर लम्बे भाषण का नहीं है, यह अवसर आत्मचिंतन का है, यह अवसर कुछ मौलिक बातों को समझने का है और मेरे मत में यह अवसर कुछ दृढ़ सकल्पों को लेने का है। हम में से प्रत्येक पर अपनी-अपनी निजी स्मृतियां राजीव जी ने छोड़ी हैं। वे हमारी अपनी धरोहर हैं और शेष जीवन में उस धरोहर को संजोकर रखना हम सब का एक यों कहिये पुण्य काम है, लेकिन जो धरोहर राष्ट्र को मिली है वह धरोहर किसी की निजी धरोहर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वह

धरोहर समूचे राष्ट्र की है। उस धरोहर को समझने की जरूरत है और उसकी रक्षा करने की जरूरत है। जिस दिन 15 अगस्त को स्वतंत्र भारत का एक नवोदित राष्ट्र रूप में अभ्युदय हुआ उस दिन से सारे विश्व को इस बात की जानकारी मिली कि दुनियां में कुछ नई ऐतिहासिक शक्तियों का प्रवाह होना प्रारम्भ हुआ है। वे शक्तियां जो सामने आने वाली उन सभी अड़चनों को दूर करके आगे बढ़ने में आती हैं, जो अपने स्वाभिमान को, आत्म-सम्मान को स्थापित करने में आती है, ऐसा हौंसला लेकर भारतवर्ष दुनिया के रंगमंच पर अवतरित हुआ है। पंडित जवाहर लाल नेहरू उसके प्रतीक थे, गांधी जी की उन पर कृपा थी। उस समय को देखने की जरूरत है कि किस प्रकार से इन ऐतिहासिक शक्तियों को, उस प्रवाह को रोकने की निरन्तर कोशिश होती रही है और यह कोशिश किसी से छिपी हुई नहीं है, कम से कम इस देश से छिपी हुई नहीं है। सैकड़ों वर्षों की साम्राज्यवादी छाया से निकल कर भारत में जो मापदंड व्यक्तिगत आजादी के, सामाजिक चेतना के, राजनीतिक चेतना के, आर्थिक चेतना के स्थापित करने की कोशिश की, पंडित जी के नेतृत्व में, शास्त्री जी के नेतृत्व में, श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के नेतृत्व में और राजीव गांधी जी के नेतृत्व में, आज वह धरोहर राजीव जी छोड़ गये हैं और इस धरोहर की रक्षा करने की जिम्मेदारी इस सर्वोच्च भारत के प्रजातन्त्र के मंदिर में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर तो है ही, लेकिन हमारी जिम्मेदारी यह भी है कि अगर कभी कोई उसका विस्मरण भी करना चाहे तो हम अपनी जिम्मेदारी समझ कर उसको विस्मृत न होने दें। यदि हमने चौकसी नहीं रखी, यदि हमने सतर्कता नहीं रखी, यदि हमने अपने बीच के छोटे-मोटे झगड़ों में फंसकर, विवादों में फंसकर उस ऐतिहासिक तथ्य को नजर अंदाज कर दिया तो फिर हम उस धरोहर के लायक नहीं हैं, यही इतिहास है। क्रूर इतिहास ने हम सब के सामने अपना नजारा दिखाया है। क्या हम इसके मूक साक्षी बनकर बैठना चाहते हैं? यदि ऐसी बात है तो फिर राजीव जी के प्रति श्रद्धासुमन चढ़ाने की बात नहीं कही जा सकती। हमें तो उनके उन सकल्पों को पूरा करना है जो संकल्प उन्होंने केवल भारत के उन करोड़ों लोगों के लिए ही नहीं, जो आज देश में विद्यमान है बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिये भी लिये थे वे संकल्प आज देश के संकल्प हैं।

हम सब बहुत छोटे व्यक्ति हैं, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन जैसा पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि व्यक्ति अपने आप में कितना ही छोटा हो, जो महान कार्यों से जुड़ता है तो थोड़ी-सी महानता उस प्रत्येक व्यक्ति में भी आ जाती है। आज हम सब यह कह सकते हैं, अपने-अपने सीमित दायरे में, कि हम सब राजीव जैसे महान व्यक्ति के साथ जुड़ने की वजह से उनकी महानता का थोड़ा बहुत प्रतिबिम्ब हम सब में भी आया है। हम सब आज इतना ही कहना चाहते हैं कि आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियका, राहुल केवल राजीव जी के परिवार के जन नहीं हैं मैं समझता हूं आज वे राष्ट्रीय धरोहर हैं। उनकी सुरक्षा, उनकी सुविधा हममें से प्रत्येक का अपना-अपना कर्तव्य है।

यह अवसर एक बार फिर यह निर्णय लेने के लिए है कि चाहे जितनी भी चुनौतियां क्यों न आयें, हमारे राष्ट्र के ऊपर चाहे जितने भी इस प्रकार के वार क्यों न हों, चाहे जितनी बार भी प्रतिक्रियावादी और साम्राज्यवादी शक्तियां इस देश को क्यों न ललकारें, हम सब इन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर उस कतार में सदैव खड़े रहें, जहां लोग केवल मरना जानते हैं, उत्सर्ग करना जानते

हैं, त्याग और बलिदान करना जानते हैं, यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी उस महापुरुष के लिए, जो आज भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है। उनका भौतिक शरीर पंचतत्व में लीन हो गया है लेकिन भारत के कोने-कोने में, जहां वह विचरे हैं, गये हैं, उनके पदचिह्न हैं, हम सब मिलकर कुछ ऐसा करें कि हम उन पदचिह्नों पर चलने लायक बनें।

अपने आप में उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत मैं नहीं समझता, क्योंकि, आने वाला इतिहास, उसके पदचाप शायद राजीव गांधी के पदचापों को ही प्रतिध्वनित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

इन शब्दों के साथ मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं।

जिन अन्य महापुरुषों का उल्लेख आपने आज किया है, श्री डांगे जी, श्री राय जी, श्री उमा शंकर जी दीक्षित और चित्त मेहता जी, इन सब के प्रति भी हम सब अपनी संवेदना प्रकट करना चाहते हैं।

अन्य जो नाम आपने इसमें लिखे हैं, हम इस सदन के माध्यम से उनके और उनके परिवार के प्रति सवेदना भेजना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम श्री राजीव गांधी के दुखद निधन पर एक संकल्प पारित कर रहे हैं और साथ ही उनके दुखद निधन की भी सूचना दे रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे कुछ देर के लिए मौन खड़े रहें और तत्पश्चात बैठकर सूचित करें कि संकल्प पारित हो गया है। हम अन्य मित्रों के दुखद निधन का भी उल्लेख करेंगे।

तत्पश्चात् सदस्य कुछ देर के लिये मौन खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूं कि यह प्रस्ताव एकमत से पारित हो गया है। इस प्रस्ताव की एक प्रति शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों को भेज दी जायेगी।

तत्पश्चात—संकल्प स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय द्वारा मंत्रियों व सांसदों के बारे में संकल्प व निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपने कुछ अन्य मित्रों के दुःखद निधन की भी सूचना सदन को देनी है। सर्वश्री चित महाटा, सी०के० चक्रपाणि, नगीना राय, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द राव सर्वश्री गौरी शंकर राय, जगेश्वर यादव, ईश्वर चौधरी, एस० ए० डांगे, उमा शंकर दीक्षित, दिनेश गोस्वामी, प्रभुदयाल हिम्मत संघका और भाई शमिन्दर सिंह।

श्री चित्त महाटा पश्चिम बगाल के पुरुलिया निर्वाचन क्षेत्र से 1977 से पांच बार लोकसभा के सदस्य रहे। इससे पहले 1967-68 में वे पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य रहे।

श्री चित्त महाटा ने अपना राजनीतिक जीवन नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के शिष्य के रूप में शुरू किया तथा उन्होंने अपने छात्र जीवन में पुरुलिया जिले के किसान आन्दोलनों में अनेक बार भाग लिया।

वह एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे और अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक सगठनों से सम्बद्ध थे ।

वह सदन की कार्यवाही में गहरी रुचि लेते थे। श्री चित्त महाटा का निधन 7 जुलाई, 1991 को 54 वर्ष की छोटी सी आयु में रांची अस्पताल में हुआ।

श्री सी० के० चक्रपाणि केरल के पोन्नानी निर्वाचन क्षेत्र से 1967–70 में चौथी लोकसभा के सदस्य थे ।

वह एक प्रसिद्ध पत्रकार थे और "नवयुग", "कम्युनिस्ट" और "देशाभिमानी" पत्रों के सम्पादक मंडल में थे ।

एक अच्छे संसदविज्ञ रूप में श्री चक्रपाणि ने कामगारों की समस्याओं को सदन में उठान का कोई अवसर नहीं खोया ।

उनका निधन पहली मार्च, 1991 को 57 वर्ष की कम आयु में त्रिचुर में हुआ ।

श्री नगीना राय बिहार के गोपालगंज निर्वाचन क्षेत्र से 1980–84 में लोकसभा के सदस्य थे । इससे पहले 1967–80 के दौरान वे बिहार विधानसभा के विधायक तथा अनेक वर्षों तक राज्य सरकार में मंत्री रहे ।

श्री राय ने व्यापक यात्राएं की थीं तथा वे एक अच्छे संसदविज्ञ थे और किसानों की समस्याओं को सदन में उठाने का कोई अवसर नहीं खोते थे । वे याचिका समिति के भी सदस्य रहे थे । एक सक्रिय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ता होते हुए श्री राय ने शिक्षा के प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाई । वे अनेक शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक और खेल-कूद संस्थाओं से सम्बद्ध थे ।

श्री नगीना राय का निधन 10 अप्रैल, 1991 को 67 वर्ष की आयु में बड़ी दुःखद परिस्थितियों में हुआ । अपराधी तत्वों द्वारा की गई उनकी हत्या की कड़े शब्दों में निन्दा की जानी चाहिए ।

श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द राव 1967 से 1984 के बीच चौथी, पांचवीं, छठी और सातवीं लोक सभा की सदस्या रहीं । वे आन्ध्र प्रदेश के भद्राचलम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थीं ।

एक कुशल संसदविज्ञ होते हुए श्रीमती राव सदैव महिलाओं और आदिवासियों की समस्याओं को सदन में उठाती रहती थीं । वह सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की सदस्या रहीं ।

3.00 म० प०

श्रीमती राव ने सिंगरेनी कोयला खानों में और आदिवासी क्षेत्रों में परिवार नियोजन का प्रचार करने में सक्रिय भाग लिया और आदिवासी लोगों के कल्याण के लिए अथक प्रयास किया विभिन्न सामाजिक और खेल-कूद संस्थाओं से सम्बद्ध होने के साथ-साथ वह 1962–64 में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की सदस्या भी रहीं ।

श्रीमती राव ने विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमण्डलों के सदस्य के रूप में अनेक देशों की यात्राएं कीं ।

श्रीमती बी० राधा बाई आनन्द राव का निधन 17 अप्रैल, 1991 को 61 वर्ष की आयु में हैदराबाद में हुआ ।

श्री गौरी शंकर राय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से छठी लोक सभा के सदस्य थे । इससे पहले वे 1957–62 में उत्तर प्रदेश विधान सभा और 1967–76 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे । उत्तर प्रदेश विधान परिषद में वे विपक्ष के नेता भी रहे ।

वयोवृद्ध श्री राय ने स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था और 1942 में जेल गये ।

पेशे से एक कृषक होते हुए श्री राय ग्रामीण विकास तथा किसानों की समस्याओं की ओर सदन का ध्यान दिलाने में विशेष रुचि लेते थे ।

वह लोक लेखा समिति के सदस्य थे ।

श्री गौरी शंकर राय का निधन 2 मई, 1991 को 67 वर्ष की आयु में बलिया में हुआ ।

श्री जगेश्वर यादव उत्तर प्रदेश के बांदा निर्वाचन क्षेत्र से चौथी लोक सभा के सदस्य थे ।

वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी श्री यादव ने 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और उन्हें दो वर्ष का कठोर कारावास का दण्ड मिला ।

एक किसान और प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता होते हुए श्री यादव किसानों और कामगारों के कल्याण में विशेष रुचि लेते थे । वे अनेक शैक्षिक संस्थाओं से सम्बंद्ध थे ।

श्री जगेश्वर यादव का निधन 74 वर्ष की आयु में 14 मई, 1991 को हुआ ।

श्री ईश्वर चौधरी बिहार के गया निर्वाचन क्षेत्र से पांचवीं, छठी और नौवीं लोक सभा के सदस्य थे ।

एक प्रसिद्ध सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता होते हुए श्री चौधरी ने अपना जीवन कमजोर वर्गों के उत्थान में लगाया । वह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे थे । वह श्रम और कल्याण मंत्रालय की सलाहकार समिति से भी सम्बद्ध थे ।

श्री ईश्वर चौधरी, जो 10वीं लोक सभा के चुनावों में एक उम्मीदवार थे, 15 मई, 1991 को एक हत्यारे की गोली का शिकार हुए । उस समय उनकी आयु 52 वर्ष थी ।

श्री श्रीपाद अमृत डांगे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे । स्वतन्त्रता सेनानी, ट्रेड युनियन नेता, लेखक, और संसदविज्ञ के रूप में उनका महत्वपूर्ण योगदान इस बात का प्रमाण है कि वे देश में समाजवादी समाज की रचना करने के लिए कितने दृढ़ संकल्प थे ।

1899 में जन्में श्री डांगे बम्बई में मिल मजदूरों के बीच राहत कार्य करने के दौरान मजदूर वर्ग के सम्पर्क में आये। श्री डांगे ने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया।

स्वतन्त्रता सेनानी श्री डांगे स्वतन्त्रता संघर्ष के दौरान लोकमान्य तिलक और राष्ट्रपिता से काफी प्रभावित हुए थे। उन्होंने 1920 में, जब वह एक विद्यार्थी थे, असहयोग आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ दिया। स्वतन्त्रता संघर्ष के दौरान विशेषतया कानपुर षडयन्त्र मामला (1924–27), मेरठ षडयन्त्र मामला (1929–35) युद्ध विरोधी गतिविधियां (1939–43) और ऐसी ही घटनाओं आदि के कारण 16 वर्ष तक जेल में रहे।

श्री डांगे लगभग 6 दशक तक देश के ट्रेड यूनियन आन्दोलन में एक अग्रणी भूमिका निभाते रहे। वे अखिल भारतीय ट्रेड युनियन कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। वे अनेक बार विश्व ट्रेड यूनिनन महासंघ के उपाध्यक्ष चुने गये थे।

श्री डांगे को शांति, लोकतन्त्र और सामाजिक प्रगति के क्षेत्र में किये गये संघर्ष को मान्यता देते हुए सोवियत संघ ने उन्हें 'आर्डर आफ लेनिन' की उच्चतम उपाधि से विभूषित किया।

श्री डांगे एक विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने कई विषयों पर बहुत सी किताबें लिखीं। उनमें से 'गांधी लेनिन', लिटरेचर एण्ड पीपुल तथा 'फरोम प्रीमिटिव कम्युनिस्म टू सलेवरी' आदि मुख्य किताबें हैं। श्री डांगे ने पत्रकारिता में गहरी रुचि ली और देश की कम्युनिस्ट दैनिकी-- 'दा सोशलिस्ट' तथा मराठी साप्ताहिक 'क्रान्ति' का सम्पादन किया।

श्री डांगे 1957 में मुम्बई शहर (मध्य) निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी लोक सभा तथा पुनः 1967 में उसी निर्वाचन क्षेत्र से चौथी लोक सभा के लिए चुने गए। इससे पहले 1946-51 में वह मुम्बई विधान सभा के सदस्य रह चुके थे। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

श्री डांगे एक प्रसिद्ध संसदविज्ञ थे। उन्होंने श्रमिक वर्ग की समस्याओं को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का कभी अवसर नहीं खोया। लोक सभा के वाद-विवादों को देखकर पता चलता है कि सदस्य के रूप में श्री डांगे ने बहुमूल्य योगदान दिया। वैचारिक मतभेदों को छोड़कर सदन के सभी दल उनका सम्मान करते थे। तथा उनकी बात को शान्तिपूर्वक सुनते थे।

उनकी मृत्यु से हमने न केवल एक भूतपूर्व सहयोगी खो दिया है बल्कि एक सच्चा देशभक्त तथा स्वतन्त्रता के लिए किए गए हमारे शानदार संघर्ष की एक अमुल्य कड़ी को भी खो दिया हैं। श्री डांगे का 22 मई 1991 को मुम्बई में लगभग 92 वर्ष की आयु में लम्बी बीमारी के पश्चात् देहान्त हो गया।

श्री उमा शंकर दीक्षित, एक भूतपूर्व केन्द्रीय मन्त्री थे तथा लगभग पन्द्रह वर्षों तक राज्य सभा के सदस्य रहे थे। 90 वर्ष की उम्र में लम्बी बीमारी के पश्चात् 30 मई, 1991 को उनका देहान्त हो गया।

एक अनुभवी स्वतन्त्रता सेनानी श्री दीक्षित अपना अध्ययन छोड़कर 1920 में राष्ट्र पिता के आह्वान पर 19 वर्ष की उम्र में स्वतन्त्रता संग्राम में कूद पड़े। उन्होंने योग्यता पूर्वक सत्याग्रह तथा भूमिगत आन्दोलन चलाये तथा "भारत छोड़ो" आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। उन्हें कई वर्षों का कारावास दिया गया।

श्री दीक्षित ने 1961 में अपना संसदीय जीनव आरम्भ किया जब पहली बार वह राज्य सभा के लिये चुने गए। 1964 तथा पुनः 1970 में उन्हें दुबारा उसी सदन के लिये चुना गया। उन्होंने 10 जनवरी 1976 तक राज्य सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया।

श्री दीक्षित एक प्रसिद्ध सांसद तथा योग्य प्रशासक थे। उन्होंने 1971 तथा 1975 की अवधि के बीच कई विभिन्न महत्वपूर्ण केन्द्रीय मंत्री पदों जैसे कार्य तथा आवास, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, गृह, जहाजरानी तथा परिवहन जैसे पदों को सुशोभित करने के अलावा राज्य सभा में सदन के नेता के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। बाद में उन्होंने कर्नाटक तथा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी कई वर्षों तक कार्य किया। उन्होंने स्थानन्तरित सम्पत्ति के रक्षक के रूप में भी 1948 से लगभग चार वर्षों तक कार्य किया। तथा अपनी संगठनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया।

श्री दीक्षित ने हिन्दी की प्रगति में भी गहन रुचि ली तथा कई शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े रहे।

अपनी राजनीतिक गतिविधियों के अलावा श्री दीक्षित ने स्वस्थ पत्रकारिता के विकास में भी गहरी रुचि दिखाई। वास्तव में उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की। वह एसोशिएटिड जरनल्स लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक तथा 'नेशनल हेराल्ड' 'नवजीवन' तथा 'कौमी आवाज' जैसे दैनिक अखबार, पत्रिकाओं के प्रकाशक रहे। वह प्रैस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया तथा इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसायटी जैसी संस्थाओं में अनेक पदों पर रहे।

श्री दीक्षित की देश के लिए की गई अमूल्य सेवाओं को सदैव याद किया जाएगा तथा आने वाली पीढियों के लिए वे हमेशा प्रेरणास्रोत बने रहेंगे।

श्री दिनेश गोस्वामी 1971 से 1977 की अवधि के दौरान पांचवीं तथा आठवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा पुनः दिसम्बर, 1985 से जुलाई, 1989 में उन्होंने पुनः असम के गुवाहाटी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह 1978 से 1984 के दौरान राज्य सभा के सदस्य रहे तथा पुनः अप्रैल, 1990 से लेकर दिनांक 2-6-1991 को केवल 56 वर्ष की कम उम्र में ही एक सड़क-दुर्घटना में दुःखद मृत्यु के दुर्भाग्यपूर्ण दिन तक राज्य सभा के सदस्य रहे।

अपने शिक्षणकाल के दौरान श्री गोस्वामी ने अनेक वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में चैम्पियनशिप का खिताब जीता। विभिन्न रुचि रखने वाले श्री गोस्वामी ने वकालत का पेशा अपनाया तथा गुवाहाटी उच्च न्यायालय में वकालत शुरु की। उनकी कानून सम्बन्धी ज्ञान तथा स्पष्ट विचारों की शीघ्र ही काफी प्रशंसा होने लगी। असम बार परिषद् की कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य

के रूप में तथा अधिवक्ता तथा कानूनी सहायता सम्बन्धी राष्ट्रीय मंच के संयुक्त सचिव के रूप में श्री गोस्वामी ने कानून व्यवसाय में बहुमूल्य सेवाओं में योगदान किया ।

श्री गोस्वामी देश के श्रेष्ठ सांसदों में से एक समझे जाते थे । श्री गोस्वामी का दोनों सदनों की कार्यवाही विशेषरूप से न्यायिक तथा चुनावों में सुधार लाने में उनके योगदान को सर्वदा याद किया जाता रहेगा । दोनों सदनों में सभापति तथा उप-सभापति के लिये बनाये गये पैनल में कार्य करने के अतिरिक्त श्री गोस्वामी ने कई संसदीय समितियों विशेषकर विशेषाधिकार समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम सम्बन्धी समिति में काफी लाभदायक योगदान किया । नौवीं लोक-सभा के दौरान उन्हें केन्द्रीय मंत्री परिषद में शामिल किया गया तथा 1989–90 के दौरान इस्पात और खान, विधि तथा न्याय जैसे मंत्रालयों का कार्यभार संभाला । अपने संक्षिप्त विधि एंव न्याय मंत्रीत्व काल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण विधेयक विशेषरूप से चुनावों में सुधार लाने सम्बन्धी कई महत्वपूर्ण विधेयक पुनःस्थापित किये ।

श्री गोस्वामी ने अपने गृह राज्य असम में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में काफी रूचि दिखाई । श्री गोस्वामी खेलकूद प्रेमी थे तथा विशेषरूप से फुटवाल के शौकीन थे । फुटवाल तथा क्रिकेट के अंग्रेजी तथा असमी दोनों भाषाओं में रेडियो टीकाकार बनने की उनकी तीव्र इच्छा थी ।

उन्होंने काफी यात्राएं की थीं । उन्होंने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया । 1973 में लंदन में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन तथा 1979 में वेनेजुएला (सेराक्स) में आयोजित अन्तर संसदीय संघीय बैठक में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य थे ।

श्री गोस्वामी साहित्यकार भी थे । उन्होंने 'कुहेलिका' संक्षिप्त कहानी संग्रह तथा 'चिनाकी प्रीथिबी', असमी भाषा में यात्रा सांस्मरात्र जैसी अनेक रचनायें लिखीं । आकाशवाणी, गुवाहाटी से प्रसारित अनेक रेडियो नाटकों में भी उन्होंने भाग लिया ।

उनके असामयिक निधन से देश ने एक निष्ठावान राजनैतिक कार्यकर्ता तथा एक अद्वितीय देशभक्त खो दिया है ।

श्री प्रभुदयाल हिम्मत सिंहका ने 1926 में अपने संसदीय जीवन की शुरुआत की जब उन्हें बंगाल विधान सभा के लिये निर्वाचित किया गया । इसके पश्चात् वह 1937 से 1939 तक बंगाल विधानसभा, दिसम्बर 1946 से फरवरी 1948 तक असम विधान सभा, फरवरी 1948 से जून 1948 तक पश्चिम बंगाल विधान सभा, 1948 से 1950 तक संविधान सभा (विधायी) 1950 से 1952 तक अस्थायी संसद, 1956 से 1962 तक राज्य सभा तथा 1962 से 1970 के दौरान तीसरी तथा चौथी लोक सभा के सदस्य रहे । वह कई वर्षों तक कलकत्ता निगम के एल्डरमैन तथा पार्षद भी रहे थे ।

श्री हिम्मत सिंहका न केवल एक प्रसिद्ध सांसद ही थे बल्कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के अग्रणी सोलिसिटर तथा उच्चत्तम न्यायालय के एडवोकेट थे ।

एक सुविख्यात राजनैतिक कार्यकर्ता श्री हिम्मत सिंहका अपने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपनी राजनैतिक गतिविधियों के लिये अनेक बार जेल गये तथा 1916 में उन्हें बंगाल से निष्कासित कर दिया गया।

समाज के वंचित तथा उपेक्षित वर्ग के एक अद्वितीय समर्थक के रूप में उन्होंने महिलाओं में शिक्षा के प्रसार तथा कुष्ठ निवारण के लिये सतत कार्य किया। वह स्काउटिंग गतिविधियों से भी जुड़े हुए थे तथा वर्ष 1952–53 के दौरान गाइड तथा भारत स्काउट के राज्य मुख्य आयुक्त के रूप में कार्य किया। श्री हिम्मत सिंहका विभिन्न रूप में कई धर्मार्थ सामाजिक तथा शैक्षिक संगठनों से भी जुड़े हुए थे।

श्री हिम्मत सिंहका का 102 वर्ष की अवस्था में 2 जून, 1991 को निधन हो गया। उन्हें कलकत्ता नगर की 300 वीं जयन्ती के अवसर पर 'महान वृद्ध' का सम्मान प्रदान किया गया था।

भाई शमिन्दर सिंह सितम्बर 1985 से अगस्त 1989 तक पंजाब के फरीदकोट निर्वाचन-क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में आठवीं लोकसभा के सदस्य थे।

व्यवसाय से कृषक श्री सिंह पंजाब राज्य में कृषि के विकास से सम्बंधित विभिन्न संगठनों से भी जुड़े हुए थे।

वह एक सक्रिय सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने समाज के दलित वर्गों के कल्याण तथा महिलाओं में शिक्षा के प्रसार के लिये निरन्तर कार्य किया। वह महिला गुरु नानक महाविद्यालय, मुक्तसर के उपाध्यक्ष थे।

वह एक जागरुक सांसद थे तथा सभा की कार्यवाही के दौरान पंजाब की जनता की समस्याओं को प्रकाश में लाने के लिये प्राप्त प्रत्येक अवसर का पूरा लाभ उठाते थे।

भाई शमिन्दर सिंह जो कि दसवीं लोक सभा के लिये उम्मीदवार थे, उनकी मृत्यु दिनांक 18 जून 1991 में 45 वर्ष की अल्पायु में ही चुनाव अभियान के मध्य एक बम विस्फोट में हो गई। उनकी हत्या पंजाब में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिये किये जा रहे प्रयासों के प्रति एक भारी आघात है।

हम इन सभी मित्रों के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं तथा मुझे पूरा विश्वास है कि शोकाकुल परिवारों के प्रति हमारी संवेदना व्यक्त करने में सभा मेरा साथ देगी।

अब सभा के सदस्य दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिये थोड़ी देर के लिये मौन खड़े रहेंगे।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े हुए)

3.17 म० प०

अध्यक्ष महोदय : अब सभा शुक्रवार, 12 जुलाई 1991 को पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोकसभा शुक्रवार, 12 जुलाई, 1991/21 आषाढ़, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

91-M/S228LLS—225—5-10-91—GIPS

पी० एल० एस० 48/1/3/91 (एन०)
225

© 1991 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों सम्बन्धी (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय, शिमला द्वारा मुद्रित ।